बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक–उप/अ–301/2008/पं०रा०/ 1566 / पटना, दिनांक 29/3/

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2007–08 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत् कर्मियों को नये वेतनमान में वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान के रूप में कुल 17,12,22,565/– (सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसाओं को सरकारी संकल्प सं– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत् कर्मियों को नये वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण वेतनादि भुगतान हेतु जिला परिषदों से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 17,12,22,565/– (सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये) का अनुदान स्वीकृत किया है।

2. इस स्वीकृत अनुदान की राशि के व्यय के क्रम में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निम्नलिखित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

(क) इस स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य के जिलापरिषदों के वैसे कर्मचारियों को देय होगी जो सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों के आलोक में विहित प्रकियाओं का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किए गए हों एवं कार्यरत् हों एवं उनके नये वेतनमान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई हो।

(ख) दिनांक 01.01.1996 के बाद अनुकम्पा के आधार पर षष्टम वेतनमान् में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या – 3385 दिनांक 15.06.01 के आलोक में संशोधित कर वेतन निर्धारण करते हुए किया जाये।

(ग) जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र में अंकित कर्मियों के वेतनादि के निर्धारण की जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इस राशि को वेतन मद में व्यय किया जाये।

(घ) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कर्मीवार व्यय विवरणी तीन माह के अन्दर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप व्यय के पश्चात् शेष बचे राशि का सामंजन अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जानेवाले अनुदान की राशि से किया जा सके।

3. उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की निकासी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे तथा इसका नियमानुकुल व्यय उसी प्रयोजन पर करेंगे जिस प्रयोजन के लिए

C:\Documents and Settings\Acer OEM User\My Documents\Sarwan\Directories of Pancharyati Raj\2008\A.G.doc(1)

स्वीकृत किया गया है। यदि अनुदान स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों को दिया गया हो तो इस स्वीकृत राशि का आवश्यक समायोजन संबंधित जिला परिषद् द्वारा कर लिया जायेगा।

4. इस अनुदान राशि के व्यय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही पदाधिकारी की होगी।

5. यह व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक के बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–251 विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" में उपबंधित राशि रू. 18,75,61,000.00 (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख इकसठ हजार रूपये) से वहन किया जायेगा।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस अनुदान के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आगामी वर्ष में उन्हें अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

7. इस स्वीकृत अनुदान का लेखा–जोखा जिला परिषद् द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 7355(वि.), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, कार्यालय, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. इसका विपत्र कोड सं0– N2515001960005 एवं मांग सं0 – 59 है।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या–3प/अ–201/2008 में यू0ओ0आर0 124/ F 8 दिनांक 28.03.2008 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

अनुलग्नक:– यथाउपर्युक्त।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/पं०रा०/ 1566 / पटना, दिनांक 29/3/08

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग, प्रशाखा–8 (स्कीम शाखा)/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/ स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/पं०रा०/ 1566 / पटना, दिनांक 29/3/08

प्रतिलिपि:– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

योजना" मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2007–08 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि की विवरणी।

	जिला परिषद् का नाम	कर्मियों की संख्या	जिला परिषदों को देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ ऋण की राशि की द्वितीय किश्त कटौती	स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6
1	बक्सर	4	439800	—	439800.00
2	रोहतास	47	6201396	—	6201396.00
3	भोजपुर	34	3750191	680283.00	3069908.00
4	नालन्दा	45	5562909	—	5562909.00
5	पटना	50	8121860	—	8121860.00
6	कैमूर	18	1517300	—	1517300.00
7	गया	54	6275831	—	6275831.00
8	नवादा	44	5205312	—	5205312.00
9	औरंगाबाद	54	7341180	—	7341180.00
10	जहानाबाद	19	2263860	197475.00	2066385.00
11	अरवल	10	1245660	—	1245660.00
12	सारण	65	8227532	—	8227532.00
13	सिवान	84	11457865	—	11457865.00
14	गोपालगंज	64	8094732	—	8094732.00
15	मुजफ्फरपुर	32	4155795	199903.00	3955892.00
16	वैशाली	58	8345662	—	8345662.00
17	पू० चम्पारण	80	9572500	—	9572500.00
18	प० चम्पारण	40	6332856	—	6332856.00
19	सीतामढ़ी	62	7950616	—	7950616.00
20	शिवहर	17	2486220	—	2486220.00
21	भागलपुर	28	2958138	—	2958138.00
22	बांका	14	1795164	—	1795164.00
23	मधुबनी	49	6089496	—	6089496.00
24	समस्तीपुर	47	6561932	—	6561932.00
25	दरभंगा	51	6108010	—	6108010.00
26	सहरसा	25	2816340	—	2816340.00
27	मधेपुरा	22	2727768	—	2727768.00
28	सुपौल	7	874296	—	874296.00
29	पूर्णिया	68	7526038	—	7526038.00
30	अररिया	24	2518955	—	2518955.00
31	किशनगंज	11	1238904	—	1238904.00
32	कटिहार	35	4533360	—	4533360.00
33	मुंगेर	21	2360748	—	2360748.00
34	जमुई	15	1880892	—	1880892.00
35	बेगूसराय	31	3746772	—	3746772.00
36	खगड़िया	26	3031764	—	3031764.00
37	लखीसराय	4	364572	—	364572.00
38	शेखपुरा	5	618000	—	618000.00
	कुल योग :–	1364	172300226	1077661.00	171222565.00

(क) सत्रह करोड़ तेईस लाख दो सौ छब्बीस रु० मात्र)

(ख) दस लाख सतहत्तर हजार छः सौ इकसठ रुपये मात्र)

(ग) सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पांच सौ पैंसठ रु० मात्र)

31-5-07

प्रधान सचिव,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक–3प / अ–302 / 2008 / पं.रा. / 1606 पटना, दिनांक 31 मार्च, 2008

सेवा में,
महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः– तृतीय राज वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार कर राजस्व के शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत की समतुल्य राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2007–08 में राज्य के 38 जिला परिषदों को कुल 6,66,43,600.00 छः करोड़ छियासठ लाख तैंतालिस हजार छः सौ रूपये) रु० मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा सरकारी संकल्प संख्या – 2102(वि.–2), दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने के निर्णय के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1120(वि.–2), दिनांक 08.02.2008 द्वारा राज्य के 38 जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2006–07 में संग्रहित राजस्व के समतुल्य उतनी ही राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में जिला परिषदों को वर्ष 2007–08 में स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2007–08 में जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 6,66,43,600.00 (छः करोड छियासठ लाख तैंतालिस हजार छः सौ रूपये) रु० की राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत किया है।

2. इस राशि की निकासी बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष– 0003– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" (विपत्र कोड संख्या– एन–2515001960003 एवं मांग संख्या– 59) शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 के गैर योजना तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में उपबंधित कुल राशि रू0 6,66,44,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख चौवालीस हजार रूपये) रु० मात्र से की जाएगी।

3. संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जाएगी।

4. इस स्वीकृत मैचिंग ग्राण्ट की राशि से जिला परिषदों द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन यथा – न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभों के भुगतान संबंधी न्यायादेशों के अनुपालन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु व्यय करने में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

H:\Anil Kumar\Macthing Grand.doc

31-3-08
ग्राम विकास आयुक्त

5. इस राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही पदाधिकारी की होगी।

6. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् को स्वीकृत इस राशि पूर्ण अधिकार रहेगा।

7. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी संबंधित जिला परिषद् इस मैचिंग राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित–पत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष मैचिंग ग्राण्ट की राशि स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

8. वित्त विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या– 7355(वि.–2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या – 3प/अ–302/2008 में यू0ओ0आर0–130F8 दिनांक 31.03.2008 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

प्रधान सचिव।
31.3.08

ज्ञापांकः– पत्रांक–3प/अ–302/2008/पं.रा./ 1606 पटना, दिनांक 31 मार्च, 2008

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।
31.3.08

ज्ञापांकः– पत्रांक–3प/अ–302/2008/पं.रा./ 1606 पटना, दिनांक 31 मार्च, 2008

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा/स्कीम शाखा)/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमण्डल/ सभी जिला पदाधिकारी/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।
31.3.08

H:\Amit Kumar\Macthing Grand.doc

(70)

...ग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को मैचिंग शेयर देने हेतु ... वर्ष 2006–07 में संग्रहीत राजस्व (अपने साधन स्रोत से अर्जित राशि) के समतुल्य राज्य के 38 जिला परिषदों को वर्ष 2007–08 में स्वीकृत मैचिंग ग्राण्ट की राशि की विवरणी।

	जिला परिषद् का नाम	वर्ष 2006–07 में संग्रहीत राजस्व	वर्ष 2007–08 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत राशि
	2	3	4
1.	बक्सर	392922	392922
2.	रोहतास	1608052	1608052
3.	भोजपुर	919315	919315
4.	नालन्दा	2919206	2919200
5.	पटना	3067350	3067350
6.	कैमूर	2744165	2744165
7.	गया	1543000	1543000
8.	नवादा	5312121	5312121
9.	औरंगाबाद	1934233	1934233
10.	जहानाबाद	1608052	1608052
11.	अरवल	709488	709488
12.	सारण	4585751	4585751
13.	सिवान	1919216	1919216
14.	गोपालगंज	1985966	1985966
15.	मुजफ्फरपुर	2068390	2068390
16.	वैशाली	1808210	1808210
17.	पू० चम्पारण	4513868	4513868
18.	प० चम्पारण	1480152	1480152
19.	सीतामढ़ी	334992	334992
20.	शिवहर	442806	442806
21.	भागलपुर	423000	423000
22.	बांका	379000	379000
23.	मधुबनी	926928	926928
24.	समस्तीपुर	1279199	1279199
25.	दरभंगा	2838738	2838738
26.	सहरसा	1712836	1712836
27.	मधेपुरा	1835730	1835730
28.	सुपौल	1469338	1469338
29.	पूर्णिया	2331870	2331870
30.	अररिया	937337	937337
31.	किशनगंज	993039	993039
32.	कटिहार	919600	919600
33.	मुंगेर	2696582	2696582
34.	जमुई	1822854	1822854
35.	बेगुसराय	2473135	2473135
36.	खगड़िया	1285779	1285779
37.	लखीसराय	292488	292488
38.	शेखपुरा	128898	128898
	कुल	66643606	66643600

(छः करोड़ छियासठ लाख तेंतालीस हजार छः सौ रुपये)

31-5-17

31-3-08

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

E:\Directorate of Panchayat Raj\2007\MS-Excel_07\Maching Share (Zila Panshad).xls

(73)

पत्रांक–उप / अ–302 / 2008 / पं.रा. / 72 (आ०)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मयंक बरबड़े,
निदेशक, पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद्।

पटना, दिनांक 31-03-2008

विषयः बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष– 0003– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय–व्ययक शीर्षान्तर्गत वर्ष 2007–08 में व्यय हेतु 6,66,43,600.00 रु० (छः करोड़ छियासठ लाख तैतालिस हजार छः सौ रूपये) की राशि जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या 1606 दिनांक 31.03.08 के आलोक मे दिया जा रहा है। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय, स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों / निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की जाए।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या 1606 दिनांक 31.03.08 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम 4–05 / 96–2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त–नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

7. इसका विपत्र कोड सं0– N.2515001960003 एवं मांग सं0– 59 है।

विश्वासभाजन

31/3/08

निदेशक,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

31/3/08
उप विकास आयुक्त

C:\Documents and Settings\Ajay OEM User\My Documents\Secretariat\Directorate of Panchayat Raj 2007\2-15_Word_Files\A.G.doc(5)

ज्ञापांक – 3प/अ–302/2008/पं.रा./ 72(आ०) पटना,

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/08
निदेशक,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–302/2008/पं.रा./ 72(आ०) पटना, दिनांक 31-03-2008

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5, पंचायती राज विभाग, बिहार,/ संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/08
निदेशक,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

C:\Documents and Settings\Acer OEM User\My Documents\Sarvesh\Directorate of Panchayat Raj\2008\MS_Word_2008\A.G.doc(5)

नई 2009

77

लघु शीर्ष–196–जिला पारषदा / जिला स्तर की संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवंटित राशि की विवरणी।

–2515–अन्य ग्राम वि

– 0003– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता

जिला परिषद् का नाम	वर्ष 2007–08 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत राशि
2	3
बक्सर	392922.00 (तीन लाख बेरानवे हजार नौ सौ बाईस रु० मात्र)
रोहतास	1608052.00 (सोलह लाख आठ हजार बावन रु० मात्र)
भोजपुर	919315.00 (नौ लाख उन्नीस हजार तीन सौ पन्द्रह रु० मात्र)
नालन्दा	2919200.00 (उन्तीस लाख उन्नीस हजार दो सौ रु० मात्र)
पटना	3067350.00 (तीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ पचास रु० मात्र)
कैमूर	2744165.00 (सत्ताईस लाख चौवालीस हजार एक सौ पैंसठ रु० मात्र)
गया	1543000.00 (पन्द्रह लाख तैंतालीस हजार रु० मात्र)
नवादा	5312121.00 (तिरेपन लाख बारह हजार एक सौ इक्कीस रु० मात्र)
औरंगाबाद	1934233.00 (उन्नीस लाख चौंतीस हजार दो सौ तैंतीस रु० मात्र)
जहानाबाद	1608052.00 (सोलह लाख आठ हजार बावन रु० मात्र)
अरवल	709488.00 (सात लाख नौ हजार अट्ठासी रु० मात्र)
सारण	4585751.00 (पैंतालीस लाख पिचासी जार सात सौ एकावन रु० मात्र)
सीवान	1919216.00 (उन्नीस लाख उन्नीस हजार दो सौ सोलह रु० मात्र)
गोपालगंज	1985966.00 (उन्नीस लाख पिचासी हजार नौ सौ छियासठ रु० मात्र)
मुजफ्फरपुर	2068390.00 (बीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ नब्बे रु० मात्र)
वैशाली	1808210.00 (अठारह लाख आठ हजार दो सौ दस रु० मात्र)
पू0 चम्पारण	4513868.00 (पैंतालीस लाख तेरह हजार आठ सौ अड़सठ रु० मात्र)
प0 चम्पारण	1480152.00 (चौदह लाख अस्सी हजार एक सौ बावन रु० मात्र)
सीतामढ़ी	334992.00 (तीन लाख चौंतीस हजार नौ सौ बानवे रु० मात्र)
शिवहर	442806.00 (चार लाख बयालीस हजार आठ सौ छः रु० मात्र)
भागलपुर	423000.00 (चार लाख तेईस हजार रु० मात्र)
बांका	379000.00 (तीन लाख उनासी हजार रु० मात्र)
मधुबनी	926928.00 (नौ लाख छब्बीस हजार नौ सौ अट्ठाईस रु० मात्र)
समस्तीपुर	1279199.00 (बारह लाख उनासी हजार एक सौ निन्यानवे रु० मात्र)
दरभंगा	2838738.00 (अट्ठाईस लाख अड़तीस हजार सात सौ अडतीस रु० मात्र)
सहरसा	1712836.00 (सत्रह लाख बारह हजार आठ सौ छत्तीस रु० मात्र)
मधेपुरा	1835730.00 (अठारह लाख पैंतीस हजार सात सौ तीस रु० मात्र)
सुपौल	1469338.00 (चौदह लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ अड़तीस रु० मात्र)
पूर्णिया	2331870.00 (तेईस लाख इकतीस हजार आठ सौ सत्तर रु० मात्र)
अररिया	937337.00 (नौ लाख सैंतीस हजार तीन सौ सैंतीस रु० मात्र)
किशनगंज	993039.00 (नौ लाख तिरानवे हजार उन्तालीस रु० मात्र)
कटिहार	919600.00 (नौ लाख उन्नीस हजार छः सौ रु० मात्र)
मुंगेर	2696582.00 (छब्बीस लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ बेरासी रु० मात्र)
जमुई	1822854.00 (अठारह लाख बाईस हजार आठ सौ चौवन रु० मात्र)
बेगूसराय	2473135.00 (चौबीस लाख तिहत्तर हजार एक सौ पैंतीस रु० मात्र)
खगड़िया	1285779.00 (बारह लाख पिचासी हजार सात सौ उनासी रु० मात्र)
लखीसराय	292488.00 (दो लाख बेरानवे हजार चार सौ अट्ठासी रु० मात्र)
शेखपुरा	128898.00 (एक लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ अन्ठानवे रु० मात्र)
कुल योग :–	66643600.00 (छः करोड़ छियासठ लाख तैंतालीस हजार छः सौ रु० मात्र)

31-5-12
उप विकास आयुक्त

31/3/08
निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–उ०/अ–301/2008/पं०रा०/ 66(आ०) /

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

के० सी० साहा,

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद्।

पटना, दिनांक 17 / 02 / 2009।

विषयः– "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" मद में उपबंधित राशि रू. 13,67,62,520.00 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र) कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय–व्ययक शीर्षान्तर्गत वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु रू. 13,67,62,520.00 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रुपये मात्र) की राशि जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या – 309 दिनांक 17.02.2009 के आलोक में दिया जा रहा है। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय, स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों/निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की जाए।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या – 309 दिनांक 17.02.2009 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम 4–05/96–256 वि(2) दिनांक 17.04.1996 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता

Attested

Additional Chief Secretary

न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

7 इसका वित्त कोड सं0– N 2515001960005 एवं मांग सं0– 16 है।

विश्वासभाजन
17.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–301/2008/पं.रा./ 66(आ0) पटना, दिनांक 17 / 02 /2009।

प्रतिलिपि:– महालेखाकार बिहार पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–301/2008/पं.रा./ 66(आ0) पटना, दिनांक 17 / 02 /2009।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा–5, पंचायती राज विभाग, बिहार/ संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

Attested

Additional Chief Executive Officer
ZILA PARISHAD, PURNIA

गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि का विवरणी।

क्र०	जिला परिषद् का नाम	कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण की राशि की तृतीय किश्त की कटौती	वर्ष 2008–09 में स्वीकृत अनुदान की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	बक्सर	4	439800	351840	-	351840.00	(तीन लाख इक्यावन हजार आठ सौ चालीस रू० मात्र)
2	रोहतास	47	6201396	4961117	-	4961117.00	(उनचास लाख इकसठ हजार एक सौ सतरह रू० मात्र)
3	भोजपुर	34	3750191	3000153	680283.00	2319870.00	(तेईस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सत्तर रू० मात्र)
4	नालन्दा	45	5562909	4450327	-	4450327.00	(चौवालीस लाख पचास हजार तीन सौ सत्ताईस रू० मात्र)
5	पटना	50	8121860	6497488	-	6497488.00	(चौसठ लाख सनतानवे हजार चार सौ अट्ठासी रू० मात्र)
6	कैमूर	18	1517300	1213840	-	1213840.00	(बारह लाख तेरह हजार आठ सौ चालीस रू० मात्र)
7	गया	54	6275831	5020664	-	5020664.00	(पचास लाख बीस हजार छः सौ चौसठ रू० मात्र)
8	नवादा	44	5205312	4164250	-	4164250.00	(इकतालीस लाख चौसठ हजार दो सौ पचास रू० मात्र)
9	औरंगाबाद	54	7341180	5872944	-	5872944.00	(अनठावन लाख बहत्तर हजार नौ सौ चौवालीस रू० मात्र)
10	जहानाबाद	19	2263860	1811088	197475.00	1613613.00	(सोलह लाख तेरह हजार छः सौ तेरह रू० मात्र)
11	अरवल	10	1245660	996528	-	996528.00	(नौ लाख छियानवे हजार पाँच सौ अट्ठाईस रू० मात्र)
12	सारण	65	8227532	6582025	-	6582025.00	(पैंसठ लाख बेयासी हजार पच्चीस रू० मात्र)
13	सिवान	84	11457865	9166292	-	9166292.00	(एकानवे लाख छियासठ हजार दो सौ बानवे रू० मात्र)
14	गोपालगंज	64	8094732	6475786	-	6475786.00	(चौसठ लाख पिचहत्तर हजार सात सौ छियासी रू० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	32	4155795	3324636	199903.00	3124733.00	(इकतीस लाख चौबीस हजार सात सौ तैंतीस रू० मात्र)
16	वैशाली	58	8345662	6676530	-	6676530.00	(छियासठ लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ तीस रू० मात्र)
17	पू० चम्पारण	80	9572500	7658000	-	7658000.00	(छिहत्तर लाख अनठावन हजार रू० मात्र)
18	प० चम्पारण	40	6332856	5066285	-	5066285.00	(पचास लाख छियासठ हजार दो सौ पचासी रू० मात्र)
19	सीतामढ़ी	62	7950616	6360493	-	6360493.00	(तिरसठ लाख साठ हजार चार सौ तिरानवे रू० मात्र)
20	शिवहर	17	2486220	1988976	-	1988976.00	(उन्नीस लाख अट्ठसी हजार नौ सौ छिहत्तर रू० मात्र)
21	भागलपुर	28	2958138	2366510	-	2366510.00	(तेईस लाख छियासठ हजार पाँच सौ दस रू० मात्र)
22	बांका	14	1795164	1436131	-	1436131.00	(चौदह लाख छत्तीस हजार एक सौ इकतीस रू० मात्र)
23	मधेपुरा	49	6089496	4871597	-	4871597.00	(अड़तालीस लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ सन्तानवे रू० मात्र)

Attested

Additional Chief Executive Officer
Zila Parishad, Patna

क्र०	जिला परिषद का नाम	कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण की राशि की तृतीय किश्त की कटौती	वर्ष 2008–09 में स्वीकृत अनुदान की राशि	
1	2	3	4	5	6		7
24	समस्तीपुर	47	6561932	5249546	-	5249546.00	(बावन लाख उनचास हजार पाँच सौ छियालिस रू० मात्र)
25	दरभंगा	51	6108010	4886408	-	4886408.00	(अड़तालीस लाख छियासी हजार चार सौ आठ रू० मात्र)
26	सहरसा	25	2816340	2253072	-	2253072.00	(बाईस लाख तिरपन हजार बहत्तर रू० मात्र)
27	मधेपुरा	22	2727768	2182214	-	2182214.00	(इक्कीस लाख बेयासी हजार दो सौ चौदह रू० मात्र)
28	सुपौल	7	874296	699437	-	699437.00	(छः लाख निनान्वे हजार चार सौ सैंतीस रू० मात्र)
29	पूर्णिया	68	7526038	6020830	-	6020830.00	(साठ लाख बीस हजार आठ सौ तीस रू० मात्र)
30	अररिया	24	2518955	2015164	-	2015164.00	(बीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौंसठ रू० मात्र)
31	किशनगंज	11	1238904	991123	-	991123.00	(नौ लाख एकानवे हजार एक सौ तेईस रू० मात्र)
32	कटिहार	35	4533360	3626688	-	3626688.00	(छत्तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ अठासी रू० मात्र)
33	मुंगेर	21	2360748	1888598	-	1888598.00	(अठारह लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ अन्ठानवे रू० मात्र)
34	जमुई	15	1880892	1504714	-	1504714.00	(पन्द्रह लाख चार हजार सात सौ चौदह रू० मात्र)
35	बेगूसराय	31	3746772	2997418	-	2997418.00	(सत्तीस लाख सन्तानवे हजार चार सौ अट्ठारह रू० मात्र)
36	खगड़िया	26	3031764	2425411	-	2425411.00	(चौबीस लाख पच्चीस हजार चार सौ ग्यारह रू० मात्र)
37	लखीसराय	4	364572	291658	-	291658.00	(दो लाख एकानवे हजार छः सौ अन्ठावन रू० मात्र)
38	शेखपुरा	5	618000	494400	-	494400.00	(चार लाख चौरानवे हजार चार सौ रू० मात्र)
	कुल योग :-	1364	172300226	137840181	1077661	136762520.00	(तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रू० मात्र)

1. तेरह करोड़ अठहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ एकासी रू० मात्र
2. एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ एकसठ रू० मात्र
3. तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रू० मात्र

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक–3प/अ–301/2008/पं०रा०/ 309 / पटना, दिनांक 17/02/2009।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा – वित्त विभाग।

*अनौपचारिक रूप से प्रेषित।

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2008–09 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कार्यरत कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान के रूप में रू० 13,67,62,520.00 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र) की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त, आयोग की अनुशंसाओं को सरकारी संकल्प सं– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लिया था। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत् कर्मियों को नये वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण वेतनादि भुगतान हेतु जिला परिषदों से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में कुल 17,12,22,565/– रु० (सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पॉच सौ पैंसठ रूपये) की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य सरकार ने संकल्प सं०–2102 (वि–2) दिनांक 26.03.07 के प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृत अनुदान राशि का (80%) अस्सी प्रतिशत राशि राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को भुगतान हेतु जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 13,67,62,520.00 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र) की राशि का अनुदान स्वीकृत किया है।

2. इस स्वीकृत अनुदान की राशि के व्यय के क्रम में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निम्नलिखित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

(क) यह स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य के जिलापरिषदों के वैसे कर्मचारियों को देय होगी जो सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों के आलोक में विहित प्रकियाओं का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किए गए हों एवं कार्यरत् हों एवं उनके नये वेतनमान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई हो।

D:Suresh-2009\MS-Office-2009\Tritiya Rajya Vitta Aayog Hetu Sanlekh (10)

(ख) दिनांक 01.01.1996 के बाद अनुकम्पा के आधार पर षष्ठम वेतनमान् में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या – 3385 दिनांक 15.06.01 के आलोक में संशोधित कर वेतन निर्धारण करते हुए किया जाये।

(ग) जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र में अंकित कर्मियों के वेतनादि के निर्धारण की जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इस राशि को वेतन मद में व्यय किया जाये।

(घ) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कर्मीवार व्यय विवरणी तीन माह के अन्दर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप व्यय के पश्चात् शेष बचे राशि का सामंजन अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जानेवाले अनुदान की राशि से किया जा सके।

3. उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की निकासी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे तथा इसका नियमानूकुल व्यय उसी प्रयोजन पर करेंगे जिस प्रयोजन के लिए उन्हें स्वीकृत किया गया है। यदि अनुदान स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों को भुगतान पहले ही कर दिया गया हो तो इस स्वीकृत राशि का आवश्यक समायोजन संबंधित जिला परिषद् द्वारा कर लिया जाएगा।

4. इस अनुदान राशि के व्यय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक के बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लधुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत्त उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" मद में उपबंधित राशि रू. 13,67,62,520.00 (तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रूपये मात्र) से वहन किया जायेगा।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस अनुदान के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग/निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आगामी वर्ष में उन्हें अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

7. इस स्वीकृत अनुदान का लेखा–जोखा जिला परिषद् द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं0 7355(वि.), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, कार्यालय, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. इसका विपत्र कोड सं0– N2515001960005 एवं मांग सं0 – 16 है।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या–3प/अ–301/2008 में यू0ओ0आर0 192/ AF (E) दिनांक 04.02.2009 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.2.09

अनुलग्नकः– यथाउपर्युक्त।

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/पं०रा०/ 309 / पटना, दिनांक 17 / 02 /2009।

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, प्रशाखा–8 (स्कीम शाखा)/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/ स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/पं०रा०/ 309 / पटना, दिनांक 17 / 02 /2009।

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.09

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि का विवरणी।

क्र०	जिला परिषद् का नाम	कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण की राशि की तृतीय किश्त की कटौती	वर्ष 2008–09 में स्वीकृत अनुदान की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
1	बक्सर	4	439800	351840	-	351840.00	(तीन लाख इक्यावन हजार आठ सौ चालीस रू० मात्र)
2	रोहतास	47	6201396	4961117	-	4961117.00	(उनचास लाख इकसठ हजार एक सौ सतरह रू० मात्र)
3	भोजपुर	34	3750191	3000153	680283.00	2319870.00	(तेईस लाख उन्नीस हजार आठ सौ सत्तर रू० मात्र)
4	नालन्दा	45	5562909	4450327	-	4450327.00	(चौवालीस लाख पचास हजार तीन सौ सत्ताईस रू० मात्र)
5	पटना	50	8121860	6497488	-	6497488.00	(चौसठ लाख सनतानवे हजार चार सौ अट्ठासी रू० मात्र)
6	कैमूर	18	1517300	1213840	-	1213840.00	(बारह लाख तेरह हजार आठ सौ चालीस रू० मात्र)
7	गया	54	6275831	5020664	-	5020664.00	(पचास लाख बीस हजार छः सौ चौसठ रू० मात्र)
8	नवादा	44	5205312	4164250	-	4164250.00	(इकतालीस लाख चौसठ हजार दो सौ पचास रू० मात्र)
9	औरंगाबाद	54	7341180	5872944	-	5872944.00	(अनठावन लाख बहत्तर हजार नौ सौ चौवालीस रू० मात्र)
10	जहानाबाद	19	2263860	1811088	197475.00	1613613.00	(सोलह लाख तेरह हजार छः सौ तेरह रू० मात्र)
11	अरवल	10	1245660	996528	-	996528.00	(नौ लाख छियानवे हजार पाँच सौ अट्ठाईस रू० मात्र)
12	सारण	65	8227532	6582025	-	6582025.00	(पैंसठ लाख बेयासी हजार पच्चीस रू० मात्र)
13	सिवान	84	11457865	9166292	-	9166292.00	(एकानवे लाख छियासठ हजार दो सौ बानवे रू० मात्र)
14	गोपालगंज	64	8094732	6475786	-	6475786.00	(चौसंठ लाख पिचहत्तर हजार सात सौ छियासी रू० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	32	4155795	3324636	199903.00	3124733.00	(इकतीस लाख चौबीस हजार सात सौ तैंतीस रू० मात्र)
16	वैशाली	58	8345662	6676530	-	6676530.00	(छियासठ लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ तीस रू० मात्र)
17	पू० चम्पारण	80	9572500	7658000	-	7658000.00	(छिहत्तर लाख अनठावन हजार रू० मात्र)
18	प० चम्पारण	40	6332856	5066285	-	5066285.00	(पचास लाख छियासठ हजार दो सौ पचासी रू० मात्र)
19	सीतामढी	62	7950616	6360493	-	6360493.00	(तिरसठ लाख साठ हजार चार सौ तिरानवे रू० मात्र)
20	शिवहर	17	2486220	1988976	-	1988976.00	(उन्नीस लाख अट्ठसी हजार नौ सौ छिहत्तर रू० मात्र)
21	भागलपुर	28	2958138	2366510	-	2366510.00	(तेईस लाख छियासठ हजार पाँच सौ दस रू० मात्र)
22	बांका	14	1795164	1436131	-	1436131.00	(चौदह लाख छत्तीस हजार एक सौ इकतीस रू० मात्र)

क्र०	जिला परिषद् का नाम	कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण की राशि की तृतीय किश्त की कटौती	वर्ष 2008–09 में स्वीकृत अनुदान की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	
23	मधुबनी	49	6089496	4871597	-	4871597.00	(अड़तालीस लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ सन्तानवे रू० मात्र)
24	समस्तीपुर	47	6561932	5249546	-	5249546.00	(बावन लाख उनचास हजार पाँच सौ छियालिस रू० मात्र)
25	दरभंगा	51	6108010	4886408	-	4886408.00	(अड़तालीस लाख छियासी हजार चार सौ आठ रू० मात्र)
26	सहरसा	25	2816340	2253072	-	2253072.00	(बाईस लाख तिरपन हजार बहत्तर रू० मात्र)
27	मधेपुरा	22	2727768	2182214	-	2182214.00	(इक्कीस लाख बेयासी हजार दो सौ चौदह रू० मात्र)
28	सुपौल	7	874296	699437	-	699437.00	(छः लाख निनान्बे हजार चार सौ सैंतीस रू० मात्र)
29	पूर्णिया	68	7526038	6020830	-	6020830.00	(साठ लाख बीस हजार आठ सौ तीस रू० मात्र)
30	अररिया	24	2518955	2015164	-	2015164.00	(बीस लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौंसठ रू० मात्र)
31	किशनगंज	11	1238904	991123	-	991123.00	(नौ लाख एकानवे हजार एक सौ तेईस रू० मात्र)
32	कटिहार	35	4533360	3626688	-	3626688.00	(छत्तीस लाख छब्बीस हजार छः सौ अठासी रू० मात्र)
33	मुंगेर	21	2360748	1888598	-	1888598.00	(अठारह लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ अनठानवे रू० मात्र)
34	जमुई	15	1880892	1504714	-	1504714.00	(पन्द्रह लाख चार हजार सात सौ चौदह रू० मात्र)
35	बेगुसराय	31	3746772	2997418	-	2997418.00	(उनतीस लाख सनतानबे हजार चार सौ अट्ठारह रू० मात्र)
36	खगड़िया	26	3031764	2425411	-	2425411.00	(चौबीस लाख पच्चीस हजार चार सौ ग्यारह रू० मात्र)
37	लखीसराय	4	364572	291658	-	291658.00	(दो लाख एकानबे हजार छः सौ अनठावन रू० मात्र)
38	शेखपुरा	5	618000	494400	-	494400.00	(चार लाख चौरानबे हजार चार सौ रू० मात्र)
	कुल योग :–	1364	172300226	137840181	1077661	136762520.00	(तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रू० मात्र)

1. तेरह करोड़ अठहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ एकासी रू० मात्र
2. दस लाख सतहत्तर हजार छः सौ एकसठ रू० मात्र
3. तेरह करोड़ सड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ बीस रू० मात्र

17.2.09

सरकार के प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

36

116

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक – 39/अ–306/2008/पं०रा०/ 942 /

पटना, दिनांक 20 / 03 / 2009।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार कर राजस्व के शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत की समतुल्य राशि मैंचिंग ग्रांट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 में राज्य के 38 जिला परिषदों को कुल 9,72,43,676.00 (नौ करोड़ बहत्तर लाख तैंतालीस हजार छः सौ छिहत्तर रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा सरकारी संकल्प संख्या – 2102 (वि.–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने के निर्णय के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या – 1120 (वि–2), दिनांक 08.02.2008 द्वारा राज्य के 38 जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2007–08 में संग्रहित राजस्व के समतुल्य उतनी ही राशि मैचिंग ग्रान्ट के रूप में जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2008–09 में स्वीकृत किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 9,72,43,676.00 (नौ करोड़ बहत्तर लाख तैंतालीस हजार छः सौ छिहत्तर रुपये) रु० की राशि मैचिंग ग्रान्ट के रूप में स्वीकृत किया है।

2. इस राशि की निकासी बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" (विपत्र कोड संख्या – एन–2515001960003 एवं मांग संख्या – 16) शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 के गैर योजना तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में उपबंधित कुल राशि रु० 9,95,69,000.00 (नौ करोड़ पिचानवे लाख उनहत्तर हजार रुपये) मात्र से की जायेगी।

154
3-3-09

3. संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जाएगी।

4. इस स्वीकृत मैचिंग ग्रान्ट की राशि से जिला परिषदों द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन यथा – न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवान्त लाभों के भुगतान संबंधी न्यायादेशों के अनुपालन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु व्यय करने में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

इस राशि के व्यय में किसी प्रकार की विचलन [illegible] उत्तरदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। [illegible] आयोजन एवं लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद [illegible] इस राशि के आंवंटन का पूर्ण अधिकार रहेगा।

19/3

Scanned with OKEN Scanner

7. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद इस मैचिंग ग्रान्ट की राशि के व्यय [illegible] उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित–पत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध करा[illegible] सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष में उन्हे मैचिंग ग्रान्ट की राशि स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

8. वित्त विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या– 7355(वि.–2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या – 3प/अ–306/2008 में यू0ओ0आर0– 25 च्य दिनांक 20.3.2009 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20.3.09

प्रधान सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–306/2008/पं०रा०/ 942 /

पटना, दिनांक 20 / 03 /2009।

प्रतिलिपि – सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.09

प्रधान सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–306/2008/पं०रा०/ 942 /

पटना, दिनांक 20 / 03 /2009।

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा/स्कीम शाखा)/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/सभी जिला पदाधिकारी/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.09

प्रधान सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

अभिप्रमाणित

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, किशनगंज
7/9/15

Scanned with OKEN Scanner

114

...ज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को मैचिंग शेयर हेतु जिला परिषद द्वारा वर्ष ...08 में संग्रहीत राजस्व (अपने साधन स्त्रोत से अर्जित राशि) के समतुल्य राज्य के 38 जिला परिषदों को वर्ष 2008–09 में स्वीकृत ...ग्राण्ट की राशि की विवरणी।

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्ष 2007–08 में संग्रहीत राजस्व	वर्ष 2008–09 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	बक्सर	219806.00	219806.00
2	रोहतास	4749768.00	4749768.00
3	भोजपुर	2597598.00	2597598.00
4	नालन्दा	3808259.00	3808259.00
5	पटना	2279587.00	2279587.00
6	कैमूर	1989441.00	1989441.00
7	गया	3110314.00	3110314.00
8	नवादा	5363988.00	5363988.00
9	औरंगाबाद	2188764.00	2188764.00
10	जहानाबाद	1884878.00	1884878.00
11	अरवल	622302.00	622302.00
12	सारण	8931490.00	8931490.00
13	सिवान	5184010.00	5184010.00
14	गोपालगंज	2466707.00	2466707.00
15	मुजफ्फरपुर	3369915.00	3369915.00
16	वैशाली	4064026.00	4064026.00
17.	पू० चम्पारण	6277420.00	6277420.00
18	प० चम्पारण	2187004.00	2187004.00
19	सीतामढ़ी	218169.00	218169.00
20	शिवहर	446139.00	446139.00
21	भागलपुर	1306748.00	1306748.00
22	बांका	913434.00	913434.00
23	मधुबनी	4216272.00	4216272.00
24	समस्तीपुर	1491261.00	1491261.00
25	दरभंगा	3244645.00	3244645.00
26	सहरसा	2153530.00	2153530.00
27	मधेपुरा	1409152.00	1409152.00
28	सुपौल	1549177.00	1549177.00
29	पूर्णिया	4167380.00	4167380.00
30	अररिया	1038701.00	1038701.00
31	किशनगंज	1177102.00	1177102.00
32	कटिहार	1655755.00	1655755.00
33	मुंगेर	4218839.00	4218839.00
34	जमुई	2194471.00	2194471.00
35	बेगुसराय	2443986.00	2443986.00
36	खगड़िया	1699584.00	1699584.00
37	लखीसराय	224675.00	224675.00
38	शेखपुरा	179379.00	179379.00
	कुल योग :–	97243676.00	97243676.00

(नौ करोड़ बहत्तर लाख तैंतालीस हजार छः सौ छिहत्तर रुपये मात्र)

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना

प्रमाणित

ग्राम विकास आयुक्त –
मुख्य कार्यपालक पदाधि
जिला परिषद, किशन

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक–3प/अ–306/2008/पं.रा./ 79 (अ०)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद्।

पटना, दिनांक 20.03.2009

विषयः बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता– उपशीर्ष– 0003– पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय–व्ययक शीर्षान्तर्गत वर्ष 2008–09 में व्यय हेतु 9,72,43,676.00 रु० (नौ करोड़ बहत्तर लाख तैंतालिस हजार छः सौ छिहत्तर रूपये) की राशि जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या – 942 दिनांक 20.03.2009 के आलोक मे दिया जा रहा है। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय, स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों/निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की जाए।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या – 942 दिनांक 20.03.2009 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–एम 4–05/96–2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी में कठिनाई न हो अतः विशेष परिस्थिति मे वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका – 15 एवं 16 द्वारा की गई व्यवस्था को अल्प संशोधित करते हुए संबंधित उप विकास

31.3.09 20.3.09

उप विकास आयुक्त
पटना
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

D:\Sarveshi\A.G doc(10)

आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को अग्रिम निकासी करने का आदेश देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2009 तक ही प्रभावी रहेगी।

8. इसका विपत्र कोड सं0– N 2515001960003 एवं मांग सं0– 16 है।

विश्वासभाजन

20.3.09

निदेशक,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–306/2008/पं.रा./ 79 (अ०) पटना, दिनांक 20.03.2009

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.09

निदेशक,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 3प/अ–306/2008/पं.रा./ 79 (अ०) पटना, दिनांक 20.03.2009

प्रतिलिपिः– प्रशाखा–5, पंचायती राज विभाग, बिहार/संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.3.09

निदेशक,
पंचायती राज, बिहार, पटना।

D:\Sarvesh\A.G.doc(11)

134

...—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष—190 जिला परिषदों / जिला स्तर की ...को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष—0003—पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008—09 में आवंटित राशि को विवरणी

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्ष 2008—09 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृति राशि	
1	बक्सर	219806.00	(दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ छः रू० मात्र)
2	रोहतास	4749768.00	(सैंतालीस लाख उनचास हजार सात सौ अड़सठ रू० मात्र)
3	भोजपुर	2597598.00	(पचीस लाख सन्तानवे हजार पाँच सौ अनठानवे रू० मात्र)
4	नालन्दा	3808259.00	(अड़तीस लाख आठ हजार दो सौ उनसठ रू० मात्र)
5	पटना	2279587.00	(बाईस लाख उनासी हजार पाँच सौ सतासी रू० मात्र)
6	कैमूर	1989441.00	(उन्नीस लाख नवासी हजार चार सौ इकतालीस रू० मात्र)
7	गया	3110314.00	(इकतीस लाख दस हजार तीन सौ चौदह रू० मात्र)
8	नवादा	5363988.00	(तिरेपन लाख तिरसठ हजार नौ सौ अट्ठासी रू० मात्र)
9	औरंगाबाद	2188764.00	(इक्कीस लाख अट्ठासी हजार सात सौ चौंसठ रू० मात्र)
10	जहानाबाद	1884878.00	(अट्ठारह लाख चौरासी हजार आठ सौ अठहत्तर रू० मात्र)
11	अरवल	622302.00	(छह लाख बाईस हजार तीन सौ दो रू० मात्र)
12	सारण	8931490.00	(नवासी लाख इकतीस हजार चार सौ नब्बे रू० मात्र)
13	सिवान	5184010.00	(इकावन लाख चौरासी हजार दस रू० मात्र)
14	गोपालगंज	2466707.00	(चौबीस लाख छियासठ हजार सात सौ सात रू० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	3369915.00	(तैंतीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह रू० मात्र)
16	वैशाली	4064026.00	(चालीस लाख चौंसठ हजार छब्बीस रू० मात्र)
17	पू० चम्पारण	6277420.00	(बासठ लाख सतहत्तर हजार चार सौ बीस रू० मात्र)
18	प० चम्पारण	2187004.00	(इक्कीस लाख सतासी हजार चार रू० मात्र)
19	सीतामढ़ी	218169.00	(दो लाख अट्ठारह हजार एक सौ उनहत्तर रू० मात्र)
20	शिवहर	446139.00	(चार लाख छियालीस हजार एक सौ उनचालीस रू० मात्र)
21	भागलपुर	1306748.00	(तेरह लाख छह हजार सात सौ अड़तालीस रू० मात्र)
22	बांका	913434.00	(नौ लाख तेरह हजार चार सौ चौंतीस रू० मात्र)
23	मधुबनी	4216272.00	(बयालीस लाख सोलह हजार दो सौ बहत्तर रू० मात्र)
24	समस्तीपुर	1491261.00	(चौदह लाख इकानवे हजार दो सौ इकसठ रू० मात्र)
25	दरभंगा	3244645.00	(बत्तीस लाख चौंतालीस हजार छः सौ पैंतालीस रू० मात्र)
26	सहरसा	2153530.00	(इक्कीस लाख तिरेपन हजार पाँच सौ तीस रू० मात्र)
27	मधेपुरा	1409152.00	(चौदह लाख नौ हजार एक सौ बावन रू० मात्र)
28	सुपौल	1549177.00	(पन्द्रह लाख उनचास हजार एक सौ सतहत्तर रू० मात्र)
29	पूर्णिया	4167380.00	(इकतालीस लाख सरसठ हजार तीन सौ अस्सी रू० मात्र)
30	अररिया	1038701.00	(दस लाख अड़तीस हजार सात सौ एक रू० मात्र)
31	किशनगंज	1177102.00	(ग्यारह लाख सतहत्तर हजार एक सौ दो रू० मात्र)
32	कटिहार	1655755.00	(सोलह लाख पचपन हजार सात सौ पचपन रू० मात्र)
33	मुंगेर	4218839.00	(बयालीस लाख अट्ठारह हजार आठ सौ उनचालीस रू० मात्र)
34	जमुई	2194471.00	(इक्कीस लाख चौरानवे हजार चार सौ इकहत्तर रू० मात्र)
35	बेगुसराय	2443986.00	(चौबीस लाख तैंतालीस हजार नौ सौ छियासी रू० मात्र)
36	खगड़िया	1699584.00	(सोलह लाख निनानवे हजार पाँच सौ चौरासी रू० मात्र)
37	लखीसराय	224675.00	(दो लाख चौबीस हजार छह सौ पिचहत्तर रू० मात्र)
38	शेखपुरा	179379.00	(एक लाख उनासी हजार तीन सौ उनासी रू० मात्र)
	कुल	97243676.00	(नौ करोड़ बहत्तर लाख तैंतालीस हजार छः सौ छिहत्तर रूपये मात्र)

31-5-09

उप विकास आयुक्त
मद
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, पटना

20.3.09

निदेशक,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक– 3प/अ–301/2008/1635/पं0रा0, पटना, दिनांक 04/03/2010।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।

* द्वारा– वित्त विभाग।

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2009–10 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कार्यरत् कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान के रूप में 9,36,95,718.00 (नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानबे हजार सात सौ अठ्ठारह रूपये मात्र) की स्वीकृति के संबंध में

आदेशः– स्वीकृत।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त, आयोग की अनुशंसाओं को सरकारी संकल्प संख्या– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लिया था। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत् कर्मियों को नये वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण वेतनादि भुगतान हेतु जिला परिषदों से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में कुल 17,12,22,565/– (सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये) की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला परिषद् के कर्मियों को उक्त राशि का 80 (अस्सी) प्रतिशत वेतनादि के वहन हेतु भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार ने संकल्प संख्या– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 के प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृत अनुदान राशि का (60%) साठ प्रतिशत राशि राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को भुगतान हेतु जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 9,36,95,718.00 (नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानबे हजार सात सौ अठ्ठारह रूपये मात्र) की राशि का अनुदान स्वीकृत किया है।

2. इस स्वीकृत अनुदान की राशि के व्यय के क्रम में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निम्नलिखित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

(क) यह स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य के जिला परिषदों के वैसे कर्मचारियों को देय होगी जो सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/ परिपत्रों के

आलोक में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किए गए हों एवं कार्यरत् हों एवं उनके नये वेतनमान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई हो।

(ख) दिनांक 01.01.1996 के बाद अनुकम्पा के आधार पर षष्ट्म वेतनमान में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या– 3385 दिनांक 15.06.2001के आलोक में संशोधित कर वेतन निर्धारिण करते हुए किया जाये।

(ग) जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र (आधार वर्ष 2007–08) में अंकित कर्मियों के वेतनादि के निर्धारण की जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इस राशि को वेतन मद में व्यय किया जाये।

(घ) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कर्मीवार व्यय विवरणी तीन माह के अन्दर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप व्यय के पश्चात् शेष बचे राशि का सामंजन अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान की राशि से किया जा सके।

3. उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की निकासी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे तथा इसका नियमानूकुल व्यय उसी प्रयोजन पर करेंगे जिस प्रयोजन के लिए उन्हें स्वीकृत किया गया है। यदि अनुदान स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों को भुगतान पहले ही कर दिया गया हो तो इस स्वीकृत राशि का आवश्यक समायोजन संबंधित जिला परिषद् द्वारा कर लिया जाएगा।

4. इस अनुदान राशि के व्यय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक के बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लधुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" मद में उपबंधित राशि रू० 11,00,000,00.00 (ग्यारह करोड रूपये मात्र) से वहन किया जायेगा।

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस अनुदान के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आगामी वर्ष में उन्हें अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

7. इस स्वीकृत अनुदान का लेखा–जोखा जिला परिषद् द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 7355(वि.), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. इसका विपत्र कोड सं०– N– 2515001960005 एवं मांग संख्या– 16 है।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 3प/अ–301/2008 में यू0ओ0आर0 57/F7 दिनांक 17.02.2010 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

अनुलग्नक–यथाउपर्युक्त।

4.3.10

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/1635/पं0रा0, पटना, दिनांक 04/03/2010।

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, प्रशाखा– 8 (स्कीम शाखा)/ प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला/ उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/ स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.10

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/1635/पं0रा0, पटना, दिनांक 04/03/2010।

प्रतिलिपिः– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.10

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

गैर योजना "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष-196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-005-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 'कर्मचारियों' के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि का विवरणी :-

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007-08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008-09 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4-5)	वर्ष 2009-10 में 60 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत अनुदान/ ऋण राशि की चतुर्थ किस्त की कटौती	वर्ष 2009-10 में स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बक्सर	4	439800	-	439800	263880	-	263880.00 (दो लाख तिरसठ हजार आठ सौ अस्सी रू० मात्र)
2.	रोहतास	44	6201396	392688	5808708	3485225	-	3485225.00 (चौतीस लाख पचासी हजार दो सौ पच्चीस रू० मात्र)
3.	भोजपुर	31	3750191	335229	3414962	2048977	680283	1368694.00 (तेरह लाख अड़सठ हजार छः सौ चौरानवे रू० मात्र)
4.	नालन्दा	41	5562909	669460	4893449	2936069	-	2936069.00 (उनतीस लाख छत्तीस हजार उनहत्तर रू० मात्र)
5.	पटना	39	8121860	1284245	6837615	4102569	-	4102569.00 (इकतालीस लाख दो हजार पाँच सौ उनहत्तर रू० मात्र)
6.	कैमूर	16	1517300	40320	1476980	886188	-	886188.00 (आठ लाख छियासी हजार एक सौ अट्ठासी रू० मात्र)
7.	गया	50	6275831	550524	5725307	3435184	-	3435184.00 (चौतीस लाख पैंतीस हजार एक सौ चौरासी रू० मात्र)
8.	नवादा	42	5205312	203568	5001744	3001046	-	3001046.00 (तीस लाख एक हजार छियालिस रू० मात्र)
9.	औरंगाबाद	52	7341180	459708	6881472	4128883	-	4128883.00 (इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ तिरासी रू०मात्र)
10.	जहानाबाद	18	2263860	118932	2144928	1286957	197475	1089482.00 (दस लाख नवासी हजार चार सौ बेरासी रू० मात्र)
11.	अरवल	9	1245660	218280	1027380	616428	-	616428.00 (छः लाख सोलह हजार चार सौ अट्ठाईस रू०मात्र)
12.	सारण	59	8227532	657332	7570200	4542120	-	4542120.00 (पैंतालीस लाख बेयालीस हजार एक सौ बीस रू० मात्र)
13.	सिवान	78	11457865	411033	11046832	6628099	-	6628099.00 (छियासठ लाख अट्ठाईस हजार निनान्वे रू०मात्र)
14.	गोपालगंज	62	8094732	247260	7847472	4708483	-	4708483.00 (सैंतालीस लाख आठ हजार चार सौ तिरासी रू० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	29	4155795	388779	3767016	2260210	199903	2060307.00 (बीस लाख साठ हजार तीन सौ सात रू० मात्र)
16.	वैशाली	56	8345662	267410	8078252	4846951	-	4846951.00 (अड़तालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इक्यावन रू० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	73	9572500	1127476	8445024	5067015	-	5067015.00 (पचास लाख सड़सठ हजार पन्द्रह रू० मात्र)
18.	प० चम्पारण	33	6332856	784044	5548812	3329287	-	3329287.00 (तैंतीस लाख उन्नतीस हजार दो सौ सत्तासी रू० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	58	7950616	577852	7372764	4423659	-	4423659.00 (चौवालीस लाख तेईस हजार छः सौ उनसठ रू० मात्र)
20.	शिवहर	15	2486220	311100	2175120	1305072	-	1305072.00 (तेरह लाख पाँच हजार बहत्तर रूपये रू० मात्र)
21.	भागलपुर	28	2958138	-	2958138	1774883	-	1774883.00 (सतरह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ तिरासी रू० मात्र)

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008–09 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4–5)	वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ ऋण राशि की चतुर्थ किस्त की कटौती	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	बांका	13	1795164	160414	1634750	980850	-	980850.00 (नौ लाख अस्सी हजार आठ सौ पचास रू० मात्र)
23.	मधुबनी	43	6089496	1073520	5015976	3009586	-	3009586.00 (तीस लाख नौ हजार पाँच सौ छियासी रू० मात्र)
24.	समस्तीपुर	45	6561932	260448	6301484	3780890	-	3780890.00 (सैंतीस लाख अस्सी हजार आठ सौ नब्बे रू० मात्र)
25.	दरभंगा	45	6108010	713074	5394936	3236962	-	3236962.00 (बत्तीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बासठ रू० मात्र)
26.	सहरसा	21	2816340	463608	2352732	1411639	-	1411639.00 (चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ उनतालीस रू० मात्र)
27.	मधेपुरा	19	2727768	320496	2407272	1444363	-	1444363.00 (चौदह लाख चौवालीस हजार तीन सौ तिरसठ रू० मात्र)
28.	सुपौल	6	874296	75504	798792	479275	-	479275.00 (चार लाख उनासी हजार दो सौ पिचहत्तर रू० मात्र)
29.	पूर्णिया	58	7526038	913370	6612668	3967601	-	3967601.00 (उनतालीस लाख सड़सठ हजार छः सौ एक रू० मात्र)
30.	अररिया	22	2518955	169308	2349647	1409789	-	1409789.00 (चौदह लाख नौ हजार सात सौ नवासी रू० मात्र)
31.	किशनगंज	11	1238904	-	1238904	743342	-	743342.00 (सात लाख तैंतालीस हजार तीन सौ बेयालिस रू० मात्र)
32.	कटिहार	32	4533360	338604	4194756	2516854	-	2516854.00 (पच्चीस लाख सोलह हजार आठ सौ चौवन रू० मात्र)
33.	मुंगेर	19	2360748	266340	2094408	1256645	-	1256645.00 (बारह लाख छप्पन हजार छः सौ पैंतालीस रू० मात्र)
34.	जमुई	12	1880892	456768	1424124	854474	-	854474.00 (आठ लाख चौवन हजार चार सौ चौहत्तर रू० मात्र)
35.	बेगूसराय	30	3746772	87900	3658872	2195323	-	2195323.00 (इक्कीस लाख पिचानबे हजार तीन सौ तेईस रू० मात्र)
36.	खगड़िया	26	3031764	-	3031764	1819058	-	1819058.00 (अट्ठारह लाख उन्नीस हजार अनठावन रू० मात्र)
37.	लखीसराय	4	364572	-	364572	218743	-	218743.00 (दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ तैतालीस रू० मात्र)
38.	शेखपुरा	5	618000	-	618000	370800	-	370800.00 (तीन लाख सत्तर हजार आठ सौ रू० मात्र)
कुल		1248	172300226	14344594	157955632	94773379	1077661	**93695718.00**(नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अट्ठारह रू० मात्र)

1. नौ करोड़ सैंतालीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उनासी रू० मात्र
2. दस लाख सतहत्तर हजार छः सौ एकसठ रू० मात्र
3. नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अट्ठारह रू० मात्र

4.3.10

सरकार के उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

(13)

...स्त/ई०मेल

27/3/10

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक– 3प/अ–303/2009/...../प0रा0, पटना, दिनांक...../...../2010।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार कर राजस्व के शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत की समतुल्य राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009–10 में राज्य के 38 जिला परिषदों को कुल 10,73,59,324.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत

2. तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा सरकारी संकल्प संख्या– 2102(वि.–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने के निर्णय के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 1120(वि.–2) दिनांक 08.02.2008 द्वारा राज्य के 38 जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2008–09 में संग्रहित राजस्वय के समतुल्य उतनी ही राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में जिला परिषदों को वर्ष 2009–10 में स्वीकृत किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 10,73,59,324.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र की राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत किया है।

3. इस राशि की निकासी बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष– 196–जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" (विपत्र कोउ संख्या– N– 2515001960003 अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में किया जायेगा। इस हेतु कुल राशि 10,73,60,000.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रूपये) का उपबंध पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमती प्राप्त कर किया गया है।

4. संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जाएगी।

5. इस स्वीकृति मैचिंग ग्राण्ट की राशि से जिला परिषदों द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन यथा– न्यायालय द्वारा सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभों के भुगतान संबंधी न्यायादेशों के अनुपालन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु व्यय करने में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

6. इस राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् को स्वीकृत इस राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् इस मैचिंग ग्राण्ट की राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित–प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

उप विकास आयुक्त

उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष में उन्हें मैचिंग ग्राण्ट की राशि स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

9. वित्त विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या– 7355(वि.–2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 3प/अ–303/2009 में यू0ओ0आर0–106/एफ–7 दिनांक 25.03.2010 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0–

सरकार के सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 3प/अ–303/2009/2320/पं0रा0, पटना, दिनांक 26/3/2010।

प्रतिलिपि:– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

तृतीय. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को मैचिंग शेयर हेतु जिला परिषद् द्वारा वर्ष 2008–09 में संग्रहित राजस्व (अपने साधन स्त्रोत से अर्जित राशि) के समतुल्य राज्य के 38 जिला परिषदों को वर्ष 2009–10 में स्वीकृत मैचिंग ग्राण्ट की राशि की विवरणी।

क्र०सं०	जिला परिषद् का नाम	वर्ष 2008–09 में संग्रहीत राजस्व	वर्ष 2009–10 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	
1	बक्सर	183861.00	183861.00	(एक लाख तेरासी हजार आठ सौ एकसठ रू. मात्र)
2	रोहतास	2998023.00	2998023.00	(उन्नतीस लाख अन्ठानबे हजार तेईस रू. मात्र)
3	भोजपुर	1852922.00	1852922.00	(अठ्ठारह लाख बावन हजार नौ सौ बाईस रू. मात्र)
4	नालन्दा	4217461.00	4217461.00	(बेयालीस लाख सत्रह हजार चार सौ एकसठ रू. मात्र)
5	पटना	2417492.00	2417492.00	(चौबीस लाख सत्रह हजार चार सौ बानबे रू. मात्र)
6	औरंगाबाद	2835593.00	2835593.00	(अठाईस लाख पैंतिस हजार पाँच सौ तिरानबे रू. मात्र)
7	गया	3422559.00	3422559.00	(चौतीस लाख बाईस हजार पाँच सौ उनसठ रू. मात्र)
8	नवादा	8981172.00	8981172.00	(नवासी लाख एकासी हजार एक सौ बहत्तर रू. मात्र)
9	जहानाबाद	4477386.00	4477386.00	(चौवालीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ छियासी रू. मात्र)
10	अरवल	1817534.00	1817534.00	(अठारह लाख सत्रह हजार पाँच सौ चौतीस रू. मात्र)
11	सारण	643970.00	643970.00	(छः लाख तैतालीस हजार नौ सौ सत्तर रू. मात्र)
12	सीवान	5486157.00	5486157.00	(चौवन लाख छियासी हजार एक सौ सनतावन रू. मात्र)
13	गोपालगंज	6336145.00	6336145.00	(तीरसठ लाख छत्तीस हजार एक सौ पैंतालीस रू. मात्र)
14	मुजफ्फरपुर	2905303.00	2905303.00	(उन्नतीस लाख पाँच हजार तीन सौ तीन रू. मात्र)
15	वैशाली	5427535.00	5427535.00	(चौवन लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ पैंतीस रू. मात्र)
16	समस्तीपुर	4407363.00	4407363.00	(चौवालीस लाख सात हजार तीन सौ तिरशठ रू. मात्र)
17	पू० चम्पारण	7657877.00	7657877.00	(छिहत्तर लाख सनतावन हजार आठ सौ सतहत्तर रू. मात्र)
18	पश्चिमी चम्पारण	1700154.00	1700154.00	(सत्रह लाख एक सौ चौवन रू. मात्र)
19	सीतामढ़ी	851538.00	851538.00	(आठ लाख एकावन हजार पाँच सौ अड़तीस रू. मात्र)
20	शिवहर	375932.00	375932.00	(तीन लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ बतीस रू. मात्र)
21	भागलपुर	1306748.00	1306748.00	(तेरह लाख छः हजार सात सौ अड़तालीस रू. मात्र)
22	बाँका	1796996.00	1796996.00	(सत्रह लाख छियानबे हजार नौ सौ छियानबे रू. मात्र)
23	मधुबनी	5108272.00	5108272.00	(एकावन लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर रू. मात्र)
24	समस्तीपुर	1570839.00	1570839.00	(पन्द्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ उनचालीस रू. मात्र)
25	दरभंगा	3137156.00	3137156.00	(इक्कतीस लाख सैंतीस हजार एक सौ छप्पन रू. मात्र)
26	सहरसा	2687485.00	2687485.00	(छब्बीस लाख सतासी हजार चार सौ पचासी रू. मात्र)
27	मधेपुरा	1731555.00	1731555.00	(सत्रह लाख इक्कतीस हजार पाँच सौ पचपन रू. मात्र)
28	सुपौल	1637203.00	1637203.00	(सोलह लाख सैंतीस हजार दो सौ तीन रू. मात्र)
29	पूर्णियाँ	4227949.00	4227949.00	(बेयालीस लाख सताईस हजार नौ सौ उनचास रू. मात्र)
30.	अररिया	1039135.00	1039135.00	(दस लाख उनचालीस हजार एक सौ पैंतीस रू. मात्र)
31	किशनगंज	630855.00	630855.00	(छः लाख तीस हजार आठ सौ पचपन रू. मात्र)
32	कटिहार	1932304.00	1932304.00	(उन्नीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ चार रू. मात्र)
33	मुंगेर	4616801.00	4616801.00	(छियालीस लाख सोलह हजार आठ सौ एक रू. मात्र)
34	जमुई	2235625.00	2235625.00	(बाईस लाख पैंतीस हजार छः सौ पच्चीस रू. मात्र)
35	बेगुसराय	2704959.00	2704959.00	(सताईस लाख चार हजार नौ सौ उनसठ रू. मात्र)
36	खगड़िया	1587857.00	1587857.00	(पन्द्रह लाख सतासी हजार आठ सौ सनतावन रू. मात्र)
37	लखीसराय	259602.00	259602.00	(दो लाख उनसठ हजार छः सौ दो रू. मात्र)
38	शेखपुरा	152006.00	152006.00	(एक लाख बावन हजार छः रू. मात्र)
	Total	107359324.00	107359324.00	(दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रू. मात्र)

सरकार के सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

उप विकास आयुक्त

जिला पार्षद

पंचायत

223

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक– 3प/अ–301/2008/ 1635 /पं०रा० पटना, दिनांक 04/03/2010।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।

* द्वारा– वित्त विभाग।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2009–10 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कार्यरत् कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान के रूप में 9,36,95,718.00 (नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानबे हजार सात सौ अठ्ठारह रूपये मात्र) की स्वीकृति के संबंध में

आदेशः– स्वीकृत।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त, आयोग की अनुशंसाओं को सरकारी संकल्प संख्या– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लिया था। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को नये वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण वेतनादि भुगतान हेतु जिला परिषदों से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में कुल 17,12,22,565/– (सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये) की स्वीकृति दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला परिषद् के कर्मियों को उक्त राशि का 80 (अस्सी) प्रतिशत वेतनादि के वहन हेतु भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार ने संकल्प संख्या– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 के प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृत अनुदान राशि का (60%) साठ प्रतिशत राशि राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को भुगतान हेतु जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 9,36,95,718.00 (नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानबे हजार सात सौ अठ्ठारह रूपये मात्र) की राशि का अनुदान स्वीकृत किया है।

2. इस स्वीकृत अनुदान की राशि के व्यय के क्रम में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निम्नलिखित अनुदेशों का पूर्णतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

(क) यह स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य के जिला परिषदों के वैसे कर्मचारियों को देय होगी जो सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/ परिपत्रों के

6NO-15
31/03/10

31.5.17

उप विकास आयुक्त

कोष

कृते राज्यपाल, रोहतास

आलोक में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किए गए हों एवं कार्यरत हों एवं उनके नये वेतनमान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई हो।

(ख) दिनांक 01.01.1996 के बाद अनुकम्पा के आधार पर षष्ठम वेतनमान में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या– 3385 दिनांक 15.06.2001के आलोक में संशोधित कर वेतन निर्धारण करते हुए किया जाये।

(ग) जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र (आधार वर्ष 2007–08) में अंकित कर्मियों के वेतनादि के निर्धारण की जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इस राशि को वेतन मद में व्यय किया जाये।

(घ) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कर्मीवार व्यय विवरणी तीन माह के अन्दर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप व्यय के पश्चात् शेष बचे राशि का समंजन अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान की राशि से किया जा सके।

3. उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की निकासी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे तथा इसका नियमानुकुल व्यय उसी प्रयोजन पर करेंगे जिस प्रयोजन के लिए उन्हें स्वीकृत किया गया है। यदि अनुदान स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला परिषद् द्वारा कर्मचारियों को भुगतान पहले ही कर दिया गया हो तो इस स्वीकृत राशि का आवश्यक समायोजन संबंधित जिला परिषद् द्वारा कर लिया जाएगा।

4. इस अनुदान राशि के व्यय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय व्ययक के बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" मद में उपबंधित राशि रू० 11,00,000.00 (ग्यारह करोड रूपये मात्र) से वहन किया जायेगा।

31.5.17

उप विकास आयुक्त

परिषद, रोहतास

(22)

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद इस अनुदान के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आगामी वर्ष में उन्हे अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

7. इस स्वीकृत अनुदान का लेखा–जोखा जिला परिषद् द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 7355(वि.), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. इसका विपत्र कोड सं०– N– 2515001960005 एवं मांग संख्या– 16 है।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 3प/अ–301/2008 में यू0ओ0आर0 57/F7 दिनांक 17.02.2010 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

अनुलग्नक–यथाउपर्युक्त।

4.3.10

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/ 1635 /पं0रा0, पटना, दिनांक 04/03/2010।

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, प्रशाखा– 8 (स्कीम शाखा)/ प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला/ उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/ स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.10

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/ 1635 /पं0रा0, पटना, दिनांक 04/03/2010।

प्रतिलिपिः– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.10

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

B 31-5-17

उप विकास आयुक्त

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, अरवल

गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 'कर्मचारियों' के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि का विवरणी :–

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008–09 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4–5)	वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण राशि की चतुर्थ किस्त की कटौती	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बक्सर	4	439800	-	439800	263880	-	263880.00 (दो लाख तिरसठ हजार आठ सौ अस्सी रू० मात्र)
2.	रोहतास	44	6201396	392688	5808708	3485225	-	3485225.00 (चौतीस लाख पचासी हजार दो सौ पच्चीस रू० मात्र)
3.	भोजपुर	31	3750191	335229	3414962	2048977	680283	1368694.00 (तेरह लाख अड़सठ हजार छः सौ चौरानवे रू० मात्र)
4.	नालन्दा	41	5562909	669460	4893449	2936069	-	2936069.00 (उनतीस लाख छत्तीस हजार उनहत्तर रू० मात्र)
5.	पटना	39	8121860	1284245	6837615	4102569	-	4102569.00 (इकतालीस लाख दो हजार पाँच सौ उनहत्तर रू० मात्र)
6.	कैमूर	16	1517300	40320	1476980	886188	-	886188.00 (आठ लाख छियासी हजार एक सौ अट्ठासी रू० मात्र)
7.	गया	50	6275831	550524	5725307	3435184	-	3435184.00 (चौंतीस लाख पैंतीस हजार एक सौ चौरासी रू० मात्र)
8.	नवादा	42	5205312	203568	5001744	3001046	-	3001046.00 (तीस लाख एक हजार छियालिस रू० मात्र)
9.	औरंगाबाद	52	7341180	459708	6881472	4128883	-	4128883.00 (इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ तिरासी रू०मात्र)
10.	जहानाबाद	18	2263860	118932	2144928	1286957	197475	1089482.00 (दस लाख नवासी हजार चार सौ बेरासी रू० मात्र)
11.	अरवल	9	1245660	218280	1027380	616428	-	616428.00 (छः लाख सोलह हजार चार सौ अट्ठाईस रू०मात्र)
12.	सारण	59	8227532	657332	7570200	4542120	-	4542120.00 (पैंतालीस लाख बेयालीस हजार एक सौ बीस रू० मात्र)
13.	सिवान	78	11457865	411033	11046832	6628099	-	6628099.00 (छियासठ लाख अट्ठाईस हजार निनान्वे रू०मात्र)
14.	गोपालगंज	62	8094732	247260	7847472	4708483	-	4708483.00 (सैंतालीस लाख आठ हजार चार सौ तिरासी रू० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	29	4155795	388779	3767016	2260210	199903	2060307.00 (बीस लाख साठ हजार तीन सौ सात रू० मात्र)
16.	वैशाली	56	8345662	267410	8078252	4846951	-	4846951.00 (अड़तालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इक्यावन रू० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	73	9572500	1127476	8445024	5067015	-	5067015.00 (पचास लाख सड़सठ हजार पन्द्रह रू० मात्र)
18.	प० चम्पारण	33	6332856	784044	5548812	3329287	-	3329287.00 (तैंतीस लाख उन्नतीस हजार दो सौ सत्तासी रू० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	58	7950616	577852	7372764	4423659	-	4423659.00 (चौवालीस लाख तेईस हजार छः सौ उनसठ रू० मात्र)
20.	शिवहर	15	2486220	311100	2175120	1305072	-	1305072.00 (तेरह लाख पाँच हजार बहत्तर रूपये रू० मात्र)
21.	भागलपुर	28	2958138	-	2958138	1774883	-	1774883.00 (सतरह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ तिरासी रू० मात्र)

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008–09 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4–5)	वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ ऋण राशि की चतुर्थ किस्त की कटौती	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	बांका	13	1795164	160414	1634750	980850	-	980850.00 (नौ लाख अस्सी हजार आठ सौ पचास रू० मात्र)
23.	मधुबनी	43	6089496	1073520	5015976	3009586	-	3009586.00 (तीस लाख नौ हजार पाँच सौ छियासी रू० मात्र)
24.	समस्तीपुर	45	6561932	260448	6301484	3780890	-	3780890.00 (सैंतीस लाख अस्सी हजार आठ सौ नब्बे रू० मात्र)
25.	दरभंगा	45	6108010	713074	5394936	3236962	-	3236962.00 (बत्तीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बासठ रू० मात्र)
26.	सहरसा	21	2816340	463608	2352732	1411639	-	1411639.00 (चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ उनतालीस रू० मात्र)
27.	मधेपुरा	19	2727768	320496	2407272	1444363	-	1444363.00 (चौदह लाख चौवालीस हजार तीन सौ तिरसठ रू० मात्र)
28.	सुपौल	6	874296	75504	798792	479275	-	479275.00 (चार लाख उनासी हजार दो सौ पिचहत्तर रू० मात्र)
29.	पूर्णियां	58	7526038	913370	6612668	3967601	-	3967601.00 (उनतालीस लाख सड़सठ हजार छः सौ एक रू० मात्र)
30.	अररिया	22	2518955	169308	2349647	1409789	-	1409789.00 (चौदह लाख नौ हजार सात सौ नवासी रू० मात्र)
31.	किशनगंज	11	1238904	-	1238904	743342	-	743342.00 (सात लाख तैंतालीस हजार तीन सौ बेयालिस रू० मात्र)
32.	कटिहार	32	4533360	338604	4194756	2516854	-	2516854.00 (पच्चीस लाख सोलह हजार आठ सौ चौवन रू० मात्र)
33.	मुंगेर	19	2360748	266340	2094408	1256645	-	1256645.00 (बारह लाख छप्पन हजार छः सौ पैंतालीस रू० मात्र)
34.	जमुई	12	1880892	456768	1424124	854474	-	854474.00 (आठ लाख चौवन हजार चार सौ चौहत्तर रू० मात्र)
35.	बेगूसराय	30	3746772	87900	3658872	2195323	-	2195323.00 (इक्कीस लाख पिचानबे हजार तीन सौ तेईस रू० मात्र)
36.	खगड़िया	26	3031764	-	3031764	1819058	-	1819058.00 (अट्ठारह लाख उन्नीस हजार अनठावन रू० मात्र)
37.	लखीसराय	4	364572	-	364572	218743	-	218743.00 (दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ तैंतालीस रू० मात्र)
38.	शेखपुरा	5	618000	-	618000	370800	-	370800.00 (तीन लाख सत्तर हजार आठ सौ रू० मात्र)
कुल		1248	172300226	14344594	157955632	94773379	1077661	**93695718.00**(नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अट्ठारह रू० मात्र)

1. नौ करोड़ सैंतालीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उनासी रू० मात्र
2. दस लाख सतहत्तर हजार छः सौ एकसठ रू० मात्र
3. नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अट्ठारह रू० मात्र

4.3.10

सरकार के उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

618

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पत्र सं.–3प/अ–301/08 पं0/रा0 – 65(अ0)

प्रेषक,

डॉ0 दीपक प्रसाद
सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद्।

पटना, दिनांक 08/03/2010

विषय – "मुख्य शीर्ष– 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" मद में उपबंधित राशि रू0 93695718.00 (नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अठ्ठारह रूपये मात्र) कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय–व्ययक शीर्षान्तर्गत वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु 93695718.00 (नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अठ्ठारह रूपये मात्र) की राशि जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या– 1635 दिनांक 04.03.2010 के आलोक में दिया जा रहा है। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय, स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों/ निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की जाय।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या – 1635, दिनांक 04.03.2010 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगें।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– एम 4–05/96–2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

7. इसका विपत्र कोड सं0– N2515001960005 एवं मांग सं0– 16 है।

विश्वासभाजन,

सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

उप विकास आयुक्त
कोषागार
जिला बाबद, रवाना

247

ज्ञापांक 3प/अ-301/08 प0/रा0 65(आ0) पटना, दिनांक 08-03-2010
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3प/अ-301/08 पं0/रा0 65(आ0) पटना, दिनांक 08-03-2010
प्रतिलिपि :- प्रशाखा-5, पंचायती राज विभाग, बिहार/ संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

31.5.17

उप विकास आयुक्त

मुख्य ... अधिकारी
जिला परिषद, अरवल

Dr/Anuj Profile/Jan Sikayat/ Letter/P

गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 'कर्मचारियों' के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि का विवरणी :–

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008–09 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4–5)	वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण राशि की चतुर्थ किस्त की कटौती	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बक्सर	4	439800	-	439800	263880	-	263880.00 (दो लाख तिरसठ हजार आठ सौ अस्सी रू० मात्र)
2.	रोहतास	44	6201396	392688	5808708	3485225	-	3485225.00 (चौतीस लाख पचासी हजार दो सौ पच्चीस रू० मात्र)
3.	भोजपुर	31	3750191	335229	3414962	2048977	680283	1368694.00 (तेरह लाख अड़सठ हजार छः सौ चौरानवे रू० मात्र)
4.	नालन्दा	41	5562909	669460	4893449	2936069	-	2936069.00 (उनतीस लाख छत्तीस हजार उनहत्तर रू० मात्र)
5.	पटना	39	8121860	1284245	6837615	4102569	-	4102569.00 (इकतालीस लाख दो हजार पाँच सौ उनहत्तर रू० मात्र)
6.	कैमूर	16	1517300	40320	1476980	886188	-	886188.00 (आठ लाख छियासी हजार एक सौ अट्ठासी रू० मात्र)
7.	गया	50	6275831	550524	5725307	3435184	-	3435184.00 (चौतीस लाख पैंतीस हजार एक सौ चौरासी रू० मात्र)
8.	नवादा	42	5205312	203568	5001744	3001046	-	3001046.00 (तीस लाख एक हजार छियालिस रू० मात्र)
9.	औरंगाबाद	52	7341180	459708	6881472	4128883	-	4128883.00 (इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ तिरासी रू०मात्र)
10.	जहानाबाद	18	2263860	118932	2144928	1286957	197475	1089482.00 (दस लाख नवासी हजार चार सौ बेरासी रू० मात्र)
11.	अरवल	9	1245660	218280	1027380	616428	-	616428.00 (छः लाख सोलह हजार चार सौ अट्ठाईस रू०मात्र)
12.	सारण	59	8227532	657332	7570200	4542120	-	4542120.00 (पैंतालीस लाख बेयालीस हजार एक सौ बीस रू० मात्र)
13.	सिवान	78	11457865	411033	11046832	6628099	-	6628099.00 (छियासठ लाख अट्ठाईस हजार निनान्वे रू०मात्र)
14.	गोपालगंज	62	8094732	247260	7847472	4708483	-	4708483.00 (सैंतालीस लाख आठ हजार चार सौ तिरासी रू० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	29	4155795	388779	3767016	2260210	199903	2060307.00 (बीस लाख साठ हजार तीन सौ सात रू० मात्र)
16.	वैशाली	56	8345662	267410	8078252	4846951	-	4846951.00 (अड़तालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ इक्यावन रू० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	73	9572500	1127476	8445024	5067015	-	5067015.00 (पचास लाख सड़सठ हजार पन्द्रह रू० मात्र)
18.	प० चम्पारण	33	6332856	784044	5548812	3329287	-	3329287.00 (तैंतीस लाख उन्नतीस हजार दो सौ सत्तासी रू० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	58	7950616	577852	7372764	4423659	-	4423659.00 (चौवालीस लाख तेईस हजार छः सौ उनसठ रू० मात्र)
20.	शिवहर	15	2486220	311100	2175120	1305072	-	1305072.00 (तेरह लाख पाँच हजार बहत्तर रूपये रू० मात्र)
21.	भागलपुर	28	2958138	-	2958138	1774883	-	1774883.00 (सतरह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ तिरासी रू० मात्र)

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008–09 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4–5)	वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान/ ऋण राशि की चतुर्थ किस्त की कटौती	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत अनुदान की
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	बांका	13	1795164	160414	1634750	980850	-	980850.00 (नौ लाख अस्सी हजार आठ सौ पचास रू० मात्र)
23.	मधुबनी	43	6089496	1073520	5015976	3009586	-	3009586.00 (तीस लाख नौ हजार पाँच सौ छियासी रू० मात्र)
24.	समस्तीपुर	45	6561932	260448	6301484	3780890	-	3780890.00 (सैंतीस लाख अस्सी हजार आठ सौ नब्बे रू० मात्र)
25.	दरभंगा	45	6108010	713074	5394936	3236962	-	3236962.00 (बत्तीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बासठ रू० मात्र)
26.	सहरसा	21	2816340	463608	2352732	1411639	-	1411639.00 (चौदह लाख ग्यारह हजार छः सौ उनतालीस रू० मात्र)
27.	मधेपुरा	19	2727768	320496	2407272	1444363	-	1444363.00 (चौदह लाख चौवालीस हजार तीन सौ तिरसठ रू० मात्र)
28.	सुपौल	6	874296	75504	798792	479275	-	479275.00 (चार लाख उनासी हजार दो सौ पिचहत्तर रू० मात्र)
29.	पूर्णिया	58	7526038	913370	6612668	3967601	-	3967601.00 (उनतालीस लाख सड़सठ हजार छः सौ एक रू० मात्र)
30.	अररिया	22	2518955	169308	2349647	1409789	-	1409789.00 (चौदह लाख नौ हजार सात सौ नवासी रू० मात्र)
31.	किशनगंज	11	1238904	-	1238904	743342	-	743342.00 (सात लाख तैंतालीस हजार तीन सौ बेयालिस रू० मात्र)
32.	कटिहार	32	4533360	338604	4194756	2516854	-	2516854.00 (पच्चीस लाख सोलह हजार आठ सौ चौवन रू० मात्र)
33.	मुंगेर	19	2360748	266340	2094408	1256645	-	1256645.00 (बारह लाख छप्पन हजार छः सौ पैंतालीस रू० मात्र)
34.	जमुई	12	1880892	456768	1424124	854474	-	854474.00 (आठ लाख चौवन हजार चार सौ चौहत्तर रू० मात्र)
35.	बेगूसराय	30	3746772	87900	3658872	2195323	-	2195323.00 (इक्कीस लाख पिचानबे हजार तीन सौ तेईस रू० मात्र)
36.	खगड़िया	26	3031764	-	3031764	1819058	-	1819058.00 (अट्ठारह लाख उन्नीस हजार अनठावन रू० मात्र)
37.	लखीसराय	4	364572	-	364572	218743	-	218743.00 (दो लाख अट्ठारह हजार सात सौ तैंतालीस रू० मात्र)
38.	शेखपुरा	5	618000	-	618000	370800	-	370800.00 (तीन लाख सत्तर हजार आठ सौ रू० मात्र)
कुल		1248	172300226	14344594	157955632	94773379	1077661	**93695718.00**(नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अट्ठारह रू० मात्र)

1. नौ करोड़ सैंतालीस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उनासी रू० मात्र
2. दस लाख सतहत्तर हजार छः सौ एकसठ रू० मात्र
3. नौ करोड़ छत्तीस लाख पिचानवे हजार सात सौ अट्ठारह रू० मात्र

सरकार के सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

(13)

फैक्स/ई०मेल

22/3/10

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक– 3प/अ–303/2009/...../प०रा०. पटना, दिनांक...../...../2010।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार कर राजस्व के शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत की समतुल्य राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2009–10 में राज्य के 38 जिला परिषदों को कुल 10,73,59,324.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत

2. तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा सरकारी संकल्प संख्या– 2102(वि.–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने के निर्णय के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 1120(वि.–2) दिनांक 08.02.2008 द्वारा राज्य के 38 जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2008–09 में संग्रहित राजस्वय के समतुल्य उतनी ही राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में जिला परिषदों को वर्ष 2009–10 में स्वीकृत किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 10,73,59,324.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रूपये) मात्र की राशि मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत किया है।

3. इस राशि की निकासी बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष– 196–जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" (विपत्र कोउ संख्या– N– 2515001960003 अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में किया जायेगा। इस हेतु कुल राशि 10,73,60,000.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रूपये) का उपबंध पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमती प्राप्त कर किया गया है।

4. संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जाएगी।

5. इस स्वीकृति मैचिंग ग्राण्ट की राशि से जिला परिषदों द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन यथा– न्यायालय द्वारा सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभों के भुगतान संबंधी न्यायादेशों के अनुपालन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु व्यय करने में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

6. इस राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् को स्वीकृत इस राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् इस मैचिंग ग्राण्ट की राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित–प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए

COPY

उप विकास आयुक्त

उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष में उन्हें मैचिंग ग्राण्ट की राशि स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

9. वित्त विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या– 7355(वि.–2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 3प/अ–303/2009 में यू0ओ0आर0–106/एफ–7 दिनांक 25.03.2010 द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0–

सरकार के सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 3प/अ–303/2009/2320/पं0रा0, पटना, दिनांक 26/3/2010।

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

तृतीय. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को मैचिंग शेयर हेतु जिला परिषद् द्वारा वर्ष 2008–09 में संग्रहित राजस्व (अपने साधन स्त्रोत से अर्जित राशि) के समतुल्य राज्य के 38 जिला परिषदों को वर्ष 2009–10 में स्वीकृत मैचिंग ग्राण्ट की राशि की विवरणी।

क्र०सं०	जिला परिषद् का नाम	वर्ष 2008–09 में संग्रहीत राजस्व	वर्ष 2009–10 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत राशि	
1	2	3	4	
1	बक्सर	183861.00	183861.00	(एक लाख तेरासी हजार आठ सौ एकसठ रू. मात्र)
2	रोहतास	2998023.00	2998023.00	(उन्नतीस लाख अन्चानबे हजार तेईस रू. मात्र)
3	भोजपुर	1852922.00	1852922.00	(अठ्ठारह लाख बावन हजार नौ सौ बाईस रू. मात्र)
4	नालन्दा	4217461.00	4217461.00	(बेयालीस लाख सत्रह हजार चार सौ एकसठ रू. मात्र)
5	पटना	2417492.00	2417492.00	(चौबीस लाख सत्रह हजार चार सौ बानबे रू. मात्र)
6	गया	2835593.00	2835593.00	(अठाईस लाख पैतिस हजार पाँच सौ तिरानबे रू. मात्र)
7	जहानाबाद	3422559.00	3422559.00	(चौतीस लाख बाईस हजार पाँच सौ उनसठ रू. मात्र)
8	नवादा	8981172.00	8981172.00	(नवासी लाख एकासी हजार एक सौ बहत्तर रू. मात्र)
9	औरंगाबाद	4477386.00	4477386.00	(चौवालीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ छियासी रू. मात्र)
10	अरवल	1817534.00	1817534.00	(अठारह लाख सत्रह हजार पाँच सौ चौतीस रू. मात्र)
11	सारण	643970.00	643970.00	(छः लाख तैतालीस हजार नौ सौ सत्तर रू. मात्र)
12	सीवान	5486157.00	5486157.00	(चौवन लाख छियासी हजार एक सौ सनतावन रू. मात्र)
13	गोपालगंज	6336145.00	6336145.00	(तीरसठ लाख छत्तीस हजार एक सौ पैंतालीस रू. मात्र)
14	मुजफ्फरपुर	2905303.00	2905303.00	(उन्नतीस लाख पाँच हजार तीन सौ तीन रू. मात्र)
15	शिवहर	5427535.00	5427535.00	(चौवन लाख सताईस हजार पाँच सौ पैंतीस रू. मात्र)
16	सीतामढ़ी	4407363.00	4407363.00	(चौवालीस लाख सात हजार तीन सौ तिरसठ रू. मात्र)
17	पू० चम्पारण	7657877.00	7657877.00	(छिहत्तर लाख सनतावन हजार आठ सौ सतहत्तर रू. मात्र)
18	पश्चिमी चम्पारण	1700154.00	1700154.00	(सत्रह लाख एक सौ चौवन रू. मात्र)
19	दरभंगा	851538.00	851538.00	(आठ लाख एकावन हजार पाँच सौ अड़तीस रू. मात्र)
20	मधुबनी	375932.00	375932.00	(तीन लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ बत्तीस रू. मात्र)
21	समस्तीपुर	1306748.00	1306748.00	(तेरह लाख छः हजार सात सौ अड़तालीस रू. मात्र)
22	बेगूसराय	1796996.00	1796996.00	(सत्रह लाख छियानबे हजार नौ सौ छियानबे रू. मात्र)
23	खगड़िया	5108272.00	5108272.00	(एकावन लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर रू. मात्र)
24	भागलपुर	1570839.00	1570839.00	(पन्द्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ उनचालीस रू. मात्र)
25	बांका	3137156.00	3137156.00	(इक्कतीस लाख सैंतीस हजार एक सौ छप्पन रू. मात्र)
26	मुंगेर	2687485.00	2687485.00	(छब्बीस लाख सतासी हजार चार सौ पचासी रू. मात्र)
27	कटिहार	1731555.00	1731555.00	(सत्रह लाख इक्कतीस हजार पाँच सौ पचपन रू. मात्र)
28	सुपौल	1637203.00	1637203.00	(सोलह लाख सैंतीस हजार दो सौ तीन रू. मात्र)
29	पूर्णियाँ	4227949.00	4227949.00	(बेयालीस लाख सताईस हजार नौ सौ उनचास रू. मात्र)
30	अररिया	1039135.00	1039135.00	(दस लाख उनचालीस हजार एक सौ पैंतीस रू. मात्र)
31	किशनगंज	630855.00	630855.00	(छः लाख तीस हजार आठ सौ पचपन रू. मात्र)
32	कटिहार	1932304.00	1932304.00	(उन्नीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ चार रू. मात्र)
33	मुंगेर	4616801.00	4616801.00	(छियालीस लाख सोलह हजार आठ सौ एक रू. मात्र)
34	जमुई	2235625.00	2235625.00	(बाईस लाख पैंतीस हजार छः सौ पच्चीस रू. मात्र)
35	बेगुसराय	2704959.00	2704959.00	(सताईस लाख चार हजार नौ सौ उनसठ रू. मात्र)
36	खगड़िया	1587857.00	1587857.00	(पन्द्रह लाख सतासी हजार आठ सौ सनतावन रू. मात्र)
37	लखीसराय	259602.00	259602.00	(दो लाख उनसठ हजार छः सौ दो रू. मात्र)
38	शेखपुरा	152006.00	152006.00	(एक लाख बावन हजार छः रू. मात्र)
	Total	107359324.00	107359324.00	(दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रू. मात्र)

सरकार के सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

(214)

बस/ई-मेल

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक– 39/अ-303/2009/97(अ)/पं0रा0 पटना, दिनांक 26/03/2010।

प्रेषक,

डा० दीपक प्रसाद,
सरकार के सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद।

विषयः– बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय-व्ययक शीर्षान्तर्गत वर्ष 2009–10 में व्यय हेतु 10,73,59,324.00 (दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबीस रूपये) की राशि जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या – 2390 दिनांक 26.03.2010 के आलोक में दिया जा रहा है। इस आवंटन का व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय, स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों/निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके की जाए।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या – 2390 दिनांक 26.03.2010 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– एन-2-05/96-2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त नियमावली बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसके पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

7. इस आवंटित राशि की निकासी में कठिनाई न हो अतः विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग के पत्रांक 2561वि (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका– 15 एवं 16 द्वारा की गई व्यवस्था को अल्प संशोधित करते हुए संबंधित उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को अग्रिम निकासी करने का आदेश देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2010 तक ही प्रभावी रहेगी।

8. इसका विपत्र कोड संख्या– N-2515001960003 एवं मांग संख्या–16 है।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

उप विकास आयुक्त
सह
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, अररिया

(213)

ज्ञापांक– 3प/अ–303/2009/ 97(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 26/03/2010।

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3प/अ–303/2009/ 97(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 26/03/2010।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा– 5, पंचायती राज विभाग, बिहार/ संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

31.5.17

उप विकास आयुक्त
पत्र
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद [illegible]

D:\AMIT KUMAR 2010\Panchayat Raj Department\Secretary\Sec. Misc.doc

शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–196–जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0003–पंचायत राज संस्थाओं को सहायता" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में आवंटित राशि की विवरणी।

क्र०सं०	जिला परिषद् का नाम	वर्ष 2009–10 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में आवंटित राशि	
1	2	3	
1	बक्सर	183861.00	(एक लाख तेरासी हजार आठ सौ एकसठ रू. मात्र)
2	रोहतास	2998023.00	(उन्नतीस लाख अन्ठानबे हजार तेईस रू. मात्र)
3	भोजपुर	1852922.00	(अठ्ठारह लाख बावन हजार नौ सौ बाईस रू. मात्र)
4	नालन्दा	4217461.00	(बियालीस लाख सत्रह हजार चार सौ एकसठ रू. मात्र)
5	पटना	2417492.00	(चौबीस लाख सत्रह हजार चार सौ बानबे रू. मात्र)
6	जमुई	2835593.00	(अठाईस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ तिरानबे रू. मात्र)
7	गया	3422559.00	(चौंतीस लाख बाईस हजार पाँच सौ उनसठ रू. मात्र)
8	नवादा	8981172.00	(नवासी लाख एकासी हजार एक सौ बहत्तर रू. मात्र)
9	औरंगाबाद	4477386.00	(चौवालीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ छियासी रू. मात्र)
10	जहानाबाद	1817534.00	(अठारह लाख सत्रह हजार पाँच सौ चौंतीस रू. मात्र)
11	अरवल	643970.00	(छः लाख तैंतालीस हजार नौ सौ सत्तर रू. मात्र)
12	सारण	5486157.00	(चौवन लाख छियासी हजार एक सौ सत्तावन रू. मात्र)
13	सीवान	6336145.00	(तीरसठ लाख छत्तीस हजार एक सौ पैंतालीस रू. मात्र)
14	गोपालगंज	2905303.00	(उन्नतीस लाख पाँच हजार तीन सौ तीन रू. मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	5427535.00	(चौवन लाख सताईस हजार पाँच सौ पैंतीस रू. मात्र)
16	वैशाली	4407363.00	(चौवालीस लाख सात हजार तीन सौ तिरसठ रू. मात्र)
17	पू० चम्पारण	7657877.00	(छिहत्तर लाख उनसावन हजार आठ सौ सतहत्तर रू. मात्र)
18	पश्चिमी चम्पारण	1700154.00	(सत्रह लाख एक सौ चौवन रू. मात्र)
19	सीतामढी	851538.00	(आठ लाख एकावन हजार पाँच सौ अड़तीस रू. मात्र)
20	शिवहर	375932.00	(तीन लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ बत्तीस रू. मात्र)
21	भागलपुर	1306748.00	(तेरह लाख छः हजार सात सौ अठ्ठालीस रू. मात्र)
22	बाँका	1796996.00	(सत्रह लाख छियानबे हजार नौ सौ छियानबे रू. मात्र)
23	मधुबनी	5108272.00	(एकावन लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर रू. मात्र)
24	समस्तीपुर	1570839.00	(पन्द्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ उनचालीस रू. मात्र)
25	दरभंगा	3137156.00	(इकतीस लाख सैंतीस हजार एक सौ छप्पन रू. मात्र)
26	सहरसा	2687485.00	(छब्बीस लाख सत्तासी हजार चार सौ पचासी रू. मात्र)
27	मधेपुरा	1731555.00	(सत्रह लाख इकतीस हजार पाँच सौ पचपन रू. मात्र)
28	सुपौल	1637203.00	(सोलह लाख सैंतीस हजार दो सौ तीन रू. मात्र)
29	पूर्णियाँ	4227949.00	(बियालीस लाख सताईस हजार नौ सौ उनचास रू. मात्र)
30	अररिया	1039135.00	(दस लाख उनचालीस हजार एक सौ पैंतीस रू. मात्र)
31	किशनगंज	630855.00	(छः लाख तीस हजार आठ सौ पचपन रू. मात्र)
32	कटिहार	1932304.00	(उन्नीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ चार रू. मात्र)
33	मुंगेर	4616801.00	(छियालीस लाख सोलह हजार आठ सौ एक रू. मात्र)
34	जमुई	2235625.00	(बाईस लाख पैंतीस हजार छः सौ पच्चीस रू. मात्र)
35	बेगुसराय	2704959.00	(सताईस लाख चार हजार नौ सौ उनसठ रू. मात्र)
36	खगड़िया	1587857.00	(पन्द्रह लाख सत्तासी हजार आठ सौ सत्तावन रू. मात्र)
37	लखीसराय	259602.00	(दो लाख उनसठ हजार छः सौ [illegible] मात्र)
38	शेखपुरा	152006.00	(एक लाख बावन हजार छः सौ [illegible])
Total		107359324.00	(दस करोड़ तिहत्तर लाख उनसठ [illegible] तीन सौ चौबीस रू. मात्र)

सचिव, जिला परिषद,
पंचायती राज [illegible], बिहार, मुजफ्फरपुर

ग्राम विकास [illegible]
पद
मुख्य कार्यपालक पदा[illegible]
जिला परिषद [illegible]

© AMIT KUMAR 2010

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पत्र सं.–3प/अ–301/08 पं0/रा0 - 52(अ0)

प्रेषक,

विमला प्रसाद,
संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद।

पटना, दिनांक 04 03 /2011

विषय :– "मुख्य शीर्ष– 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष–196 जिला परिषद/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005– राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता" मद में उपबंधित राशि रू0 59642781.00 (पाँच करोड़ छियासी लाख बयालीस हजार सात सौ एकासी रूपये मात्र) कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय–व्ययक शीर्षान्तर्गत वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु 59642781.00 (पाँच करोड़ छियासी लाख बयालीस हजार सात सौ एकासी रूपये मात्र) की राशि जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या– 19 दिनांक 28.02.2011 के आलोक में दिया जा रहा है। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों/ निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की जाय।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या – 19 दिनांक 28.02.2011 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– एफ 4–95/96–2561 वित्त दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

7. इसका विपत्र कोड सं0– N2515001960005 एवं मांग सं0– 16 है।

विश्वासभाजन
04/3/11

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

उप विकास आयुक्त

जिला परिषद

ज्ञापांक : 3प/अ-301/08 पं0/रा0-52(आ0) पटना, दिनांक 04-03-2011

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 3प/अ-301/08 पं0/रा0-52(आ0) पटना, दिनांक 04-03-2011

प्रतिलिपि :- प्रशाखा-5, पंचायती राज विभाग, बिहार/ संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/3/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

31.5.17

उप विकास आयुक्त
[illegible]
[illegible] पदाधिकारी
[illegible]

गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-005--राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 'कर्मचारियों' के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में संबंधित जिला परिषदों को आवंटित अनुदान राशि की विवरणी:--

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या (आधार वर्ष 2007--08)	वर्ष 2007--08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2009--10 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4--5)	वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005--06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण राशि की पंचम किस्त की कटौती	वर्ष 2010--11 में आवंटित अनुदान की राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	बक्सर	4	439800.00	-	439800.00	175920.00	-	175920.00	(एक लाख पचहत्तर हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र)
2.	रोहतास	41	6201396.00	909036.00	5292360.00	2116944.00	-	2116944.00	(इक्कीस लाख सोलह हजार नौ सौ चैवालीस रू० मात्र)
3.	भोजपुर	27	3750191.00	1109577.00	2640614.00	1056246.00	680283.00	375963.00	(तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ तीरसठ रू० मात्र)
4.	नालन्दा	39	5562909.00	838442.00	4724467.00	1889787.00	-	1889787.00	(अठारह लाख नवासी हजार सात सौ सतासी रू० मात्र)
5.	पटना	33	8121860.00	2157041.00	5964819.00	2385928.00	-	2385928.00	(तेईस लाख पिचासी हजार नौ सौ अठाईस रू० मात्र)
6.	कैमूर	16	1517300.00	40320.00	1476980.00	590792.00	-	590792.00	(पाँच लाख नब्बे हजार सात सौ बानबे रू० मात्र)
7.	गया	47	6275831.00	835848.00	5439983.00	2175993.00	-	2175993.00	(इक्कीस लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ तीरानबे रू० मात्र)
8.	नवादा	40	5205312.00	472440.00	4732872.00	1893149.00	-	1893149.00	(अठारह लाख तीरानबे हजार एक सौ उनचास रू० मात्र)
9.	औरंगाबाद	52	7341180.00	459708.00	6881472.00	2752589.00	-	2752589.00	(सताईस लाख बावन हजार पाँच सौ नवासी रू० मात्र)
10.	जहानाबाद	17	2263860.00	244020.00	2019840.00	807936.00	197475.00	610461.00	(छः लाख दस हजार चार सौ इकसठ रू० मात्र)
11	अरवल	9	1245660.00	218280.00	1027380.00	410952.00	-	410952.00	(चार लाख दस हजार नौ सौ बावन रू० मात्र)
12.	सारण	56	8227532.00	1050584.00	7176948.00	2870779.00	-	2870779.00	(अठाईस लाख सत्तर हजार सात सौ उनासी रू० मात्र)
13.	सिवान	76	11457865.00	713541.00	10744324.00	4297730.00	-	4297730.00	(बयालीस लाख सनतानबे हजार सात सौ तीस रू० मात्र)
14.	गोपालगंज	60	8094732.00	554028.00	7540704.00	3016282.00	-	3016282.00	(तीस लाख सोलह हजार दो सौ बेरासी रू० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	27	4155795.00	587403.00	3568392.00	1427357.00	199903.00	1227454.00	(बारह लाख सताईस हजार चार सौ चौवन रू० मात्र)
16.	वैशाली	54	8345662.00	602072.00	7743590.00	3097436.00	-	3097436.00	(तीस लाख सनतानबे हजार चार सौ छतीस रू० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	66	9572500.00	1729516.00	7842984.00	3137194.00	-	3137194.00	(इक्कतीस लाख सैतीस हजार एक सौ चौरानबे रू० मात्र)
18.	प० चम्पारण	31	6332856.00	1043448.00	5289408.00	2115763.00	-	2115763.00	(इक्कीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ तिरसठ रू० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	58	7950616.00	577852.00	7372764.00	2949106.00	-	2949106.00	(उनतीस लाख उनचास हजार एक सौ छः रू० मात्र)
20.	शिवहर	15	2486220.00	311100.00	2175120.00	870048.00	-	870048.00	(आठ लाख सत्तर हजार अड़तालीस रू० मात्र)
21.	भागलपुर	28	2958138.00	-	2958138.00	1183255.00	-	1183255.00	(ग्यारह लाख तेरासी हजार दो सौ पचपन रू० मात्र)
22.	बांका	12	1795164.00	276816.00	1518348.00	607339.00	-	607339.00	(छः लाख सात हजार तीन सौ उनचालीस रू० मात्र)

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या (वर्ष 2007-08)	वर्ष 2007-08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान	वर्ष 2009-10 तक सेवा निवृत कर्मियों के उपलब्धि की कटौती की राशि	कुल योग (4-5)	वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अग्रिम के रूप में वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत अनुदान, मूल राशि की 10% किस्त की कटौती	वर्ष 2010-11 में आवंटित अनुदान का योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23.	मधुबनी	38	6089496.00	1570464.00	4519032.00	1807613.00	-	1807613.00	(अठारह लाख सात हजार छः सौ तेरह रू० मात्र)
24	समस्तीपुर	43	6561932.00	556104.00	6005828.00	2402330.00	-	2402330.00	(चौबीस लाख दो हजार तीन सौ तीस रू० मात्र)
25.	दरभंगा	40	6108010.00	1386430.00	4721580.00	1888632.00	-	1888632.00	(अठारह लाख अट्ठासी हजार छः सौ बत्तीस रू० मात्र)
26	सहरसा	20	2816340.00	590088.00	2226252.00	890500.00	-	890500.00	(आठ लाख नब्बे हजार पाँच सौ रू० मात्र)
27	मधेपुरा	17	2727768.00	519600.00	2208168.00	883267.00	-	883267.00	(आठ लाख तिरासी हजार दो सौ सड़सठ रू० मात्र)
28.	सुपौल	5	874296.00	183288.00	691008.00	276403.00	-	276403.00	(दो लाख छिहत्तर हजार चार सौ तीन रू० मात्र)
29.	पूर्णियाँ	58	7526038.00	913370.00	6612668.00	2645067.00	-	2645067.00	(छब्बीस लाख पैंतालीस हजार सड़सठ रू० मात्र)
30.	अररिया	21	2518955.00	262368.00	2256587.00	902635.00	-	902635.00	(नौ लाख दो हजार छः सौ पैंतीस रू० मात्र)
31.	किशनगंज	11	1238904.00	-	1238904.00	495562.00	-	495562.00	(चार लाख पिचानबे हजार पाँच सौ बासठ रू० मात्र)
32	कटिहार	29	4533360.00	729024.00	3804336.00	1521734.00	-	1521734.00	(पन्द्रह लाख इक्कीस हजार सात सौ चौंतीस रू० मात्र)
33.	मुंगेर	19	2360748.00	266340.00	2094408.00	837763.00	-	837763.00	(आठ लाख सैंतीस हजार सात सौ तिरसठ रू० मात्र)
34	जमुई	10	1880892.00	664344.00	1216548.00	486619.00	-	486619.00	(चार लाख छियासी हजार छः सौ उन्नीस रू० मात्र)
35.	बेगूसराय	26	3746772.00	626628.00	3120144.00	1248058.00	-	1248058.00	(बारह लाख अड़तालीस हजार अनठावन रू० मात्र)
36.	खगड़िया	26	3031764.00	-	3031764.00	1212705.00	-	1212705.00	(बारह लाख बारह हजार सात सौ पाँच रू० मात्र)
37	लखीसराय	4	364572.00	-	364572.00	145829.00	-	145829.00	(एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ उन्तीस रू० मात्र)
38	शेखपुरा	5	618000.00	-	618000.00	247200.00	-	247200.00	(दो लाख सैंतालीस हजार दो सौ रू० मात्र)
कुल		1180	172300226.00	22999120.00	149301106.00	59720442.00	1077661.00	58642781.00	(पाँच करोड़ छियासी लाख बेयालीस हजार सात सौ एकासी रू० मात्र)

1. पाँच करोड़ सनतानबे लाख बीस हजार चार सौ बेयालीस रू० मात्र।
2. दस लाख सत्तहत्तर हजार छह सौ एकसठ रू० मात्र।
3. पाँच करोड़ छियासी लाख बेयालीस हजार सात सौ एकासी रू० मात्र।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (वित्त)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक– 3प / अ–304 / 2010 / [illegible] / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– वित्त विभाग

पटना दिनांक [illegible] / 2011।

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को राज्य सरकार कर राजस्व शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में राज्य के 38 जिला परिषदों को मैंचिग ग्राण्ट के रूप में कुल 12,36,46,736.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार सात सौ छत्तीस रू.) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार द्वारा सरकारी संकल्प संख्या– 2102(वि.–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने के निर्णय के फलस्वरूप एवं वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या– 1120(वि.–2) दिनांक 08.02.2008 के आलोक में राज्य के जिला परिषदों द्वारा विगत वर्ष में संग्रहित राजस्व के समतुल्य उतनी ही राशि मैंचिंग ग्राण्ट के रूप में जिला परिषदों को उपलब्ध कराना है। राज्य के 38 जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2009–10 में 12,36,46,736.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार सात सौ छत्तीस रू.) का राजस्व संग्रहित किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों को वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिला परिषदवार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 12,36,46,736.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार सात सौ छत्तीस रूपये) मात्र की राशि मैंचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस राशि की निकासी बजट शीर्ष गैर योजना "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–196–जिला परिषदा/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–3007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों का अंशदान 3101–सहायक अनुदान" (विपत्र कोड संख्या– N–2515001980007 एवं मांग संख्या– 16) शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के गैर योजना तृतीय अनुदान [illegible] विवरणी में उपदर्शित कुल राशि रू० 12,36,47,000.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार रूपया) मात्र से की जायेगी।

3. संबंधित जिला के ग्राम विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

4. इस स्वीकृत मैंचिंग ग्राण्ट की राशि से जिला परिषदों द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन तथा– न्यायालय द्वारा सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभों के भुगतान–संबंधी न्यायादेशों के अनुपालन एवं सेवान्त लाभों के भुगतान हेतु व्यय करने में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

5. इस राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का [illegible] पदाधिकारी की होगी।

ग्राम विकास आयुक्त

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

6. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् को स्वीकृत इस राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

7. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् इस मैचिंग ग्राण्ट की राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित–प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आगामी वित्तीय वर्ष में उन्हें मैचिंग ग्राण्ट की राशि स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

8. वित्त विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या– 7355(वि.–2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में अनुदानित संस्थान से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर टी०सी० विपत्र– 60 पर राशि की निकासी करेंगे।

10. वित्त विभाग के पत्रांक 1014 दिनांक 03.02.2011 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राशि तृतीय अनुपूरक से अच्छादित है।

11. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 3प/अ–304/2010 में 326/जे०एस० दिनांक 31.06.2011 द्वारा पृ० 20 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31.3.11

सरकार के उप सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 3प/अ–304/2010/ 325 /पं०रा०, पटना, दिनांक 31 / 03 /2011।

प्रतिलिपि– सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.11

सरकार के उप सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– 3प/अ–304/2010/ 325 /पं०रा०, पटना, दिनांक 31 / 03 /2011।

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा/ स्कीम शाखा)/ प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमण्डल/ सभी जिला पदाधिकारी/ स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.3.11

सरकार के उप सचिव।
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

31-3-11

वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को मैचिंग शेयर हेतु जिला परिषद् द्वारा वर्ष 2009–10 में संग्रहीत राजस्व (अपने साधन स्त्रोत से अर्जित राशि) के समतुल्य राज्य के 38 जिला परिषदों को वर्ष 2010–11 में स्वीक

	जिला का नाम	वर्ष 2009–10 में संग्रहीत राजस्व	वर्ष 2010–11 में मैचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत की जानेवाली राशि
	2	3	4
	बक्सर	135232.00	135232.00 (एक लाख पैंतीस हजार दो सौ बत्तीस रू० मात्र)
2	रोहतास	3859385.00	3859385.00 (अड़तीस लाख उनसठ हजार तीन सौ पिचासी रू० मात्र)
3	भोजपुर	2662828.00	2662828.00 (छब्बीस लाख बासठ हजार आठ सौ अठाईस रू० मात्र)
4	नालन्दा	3544010.00	3544010.00 (पैंतीस लाख चौवालीस हजार दस रू० मात्र)
5	पटना	7191936.00	7191936.00 (एकहत्तर लाख एकानबे हजार नौ सौ छत्तीस रू० मात्र)
6	कैमूर	2819070.00	2819070.00 (अठाईस लाख उन्नीस हजार सत्तर रू० मात्र)
7	गया	4648465.00	4648465.00 (छियालीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ पैंसठ रू० मात्र)
8	नवादा	10865479.00	10865479.00 (एक करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार चार सौ उनासी रू० मात्र)
9	औरंगाबाद	4431407.00	4431407.00 (चौवालीस लाख एकतीस हजार चार सौ सात रू० मात्र)
10	जहानाबाद	3060926.00	3060926.00 (तीस लाख साठ हजार नौ सौ छब्बीस रू० मात्र)
11	अरवल	754613.00	754613.00 (सात लाख चौवन हजार छह सौ तेरह रू० मात्र)
12	सारण	5519465.00	5519465.00 (पचपन लाख उन्नीस हजार चार सौ पैंसठ रू० मात्र)
13	सीवान	7619412.00	7619412.00 (छिहत्तर लाख उन्नीस हजार चार सौ बारह रू० मात्र)
14	गोपालगंज	2772955.00	2772955.00 (सत्ताईस लाख बहत्तर हजार नौ सौ पचपन रू० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	6302001.00	6302001.00 (तिरसठ लाख दो हजार एक रू० मात्र)
16	वैशाली	3921066.00	3921066.00 (उनचालीस लाख एक्कीस हजार छियासठ रू० मात्र)
17	पू० चम्पारण	7939974.00	7939974.00 (उनासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ चौहत्तर रू० मात्र)
18	प० चम्पारण	1890465.00	1890465.00 (अठारह लाख नब्बे हजार चार सौ पैंसठ रू० मात्र)
19	सीतामढ़ी	985486.00	985486.00 (नौ लाख पिचासी हजार चार सौ छियासी रू० मात्र)
20	शिवहर	573401.00	573401.00 (पाँच लाख तिहत्तर हजार चार सौ एक रू० मात्र)
21	भागलपुर	1700148.00	1700148.00 (सत्रह लाख एक सौ अड़तालीस रू० मात्र)
22	बाँका	855291.00	855291.00 (आठ लाख पचपन हजार दो सौ एकानबे रू० मात्र)
23	मधुबनी	5108272.00	5108272.00 (एकावन लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर रू० मात्र)
24	समस्तीपुर	1556200.00	1556200.00 (पन्द्रह लाख छप्पन हजार दो सौ रू० मात्र)
25	दरभंगा	2490611.00	2490611.00 (चौबीस लाख नब्बे हजार छह सौ ग्यारह रू० मात्र)
26	सहरसा	3833472.00	3833472.00 (अड़तीस लाख तैंतीस हजार चार सौ बहत्तर रू० मात्र)
27	मधेपुरा	4804587.00	4804587.00 (अड़तालीस लाख चार हजार पाँच सौ सत्तासी रू० मात्र)
28	सुपौल	1685055.00	1685055.00 (सोलह लाख पिचासी हजार पचपन रू० मात्र)
29	पूर्णियाँ	5609956.00	5609956.00 (छप्पन लाख नौ हजार नौ सौ छप्पन रू० मात्र)
30	अररिया	1383505.00	1383505.00 (तेरह लाख तिरासी हजार पाँच सौ पाँच रू० मात्र)
	किशनगंज	881139.00	881139.00 (आठ लाख एकासी हजार एक सौ उनचालीस रू० मात्र)
	कटिहार	1349608.00	1349608.00 (तेरह लाख उनचास हजार छह सौ आठ रू० मात्र)
	मुंगेर	5287648.00	5287648.00 (बावन लाख सतासी हजार छह सौ अड़तालीस रू० मात्र)
	जमुई	561607.00	561607.00 (पाँच लाख एकसठ हजार छह सौ सात रू० मात्र)
	बेगुसराय	2669151.00	2669151.00 (छब्बीस लाख उनहत्तर हजार एक सौ एकावन रू० मात्र)
	खगड़िया	2049014.00	2049014.00 (बीस लाख उनचास हजार चौदह रू० मात्र)
	लखीसराय	206822.00	206822.00 (दो लाख छह हजार आठ सौ बाईस रू० मात्र)
	शेखपुरा	117074.00	117074.00 (एक लाख सत्रह हजार चौहत्तर रू० मात्र)
	कुल योग	123646736.00	123646736.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार सात सौ छत्तीस रू० मात्र)

उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

31.5.17
उप विकास आयुक्त

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पत्रांक– 3प / अ–304 / 2010 / 79(अ०) / पं०रा०, पटना, दिनांक 31 / 03 / 2011।

प्रेषक,

विमला प्रसाद,
संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव (विधि),
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी जिला परिषद्।

विषयः– "मुख्यशीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–लघुशीर्ष–196–जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान–3101–सहायक अनुदान" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना आय–व्ययक शीर्ष के अन्तर्गत तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को राज्य सरकार कर राजस्व शुद्ध संग्रहण के तीन प्रतिशत के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में जिला परिषदों को मैंचिंग ग्राण्ट के रूप में स्वीकृत राशि 12,36,46,736.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार सात सौ छत्तीस रूपये) जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या – 35 दिनांक 31.03.2011 के आलोक में दिया जा रहा है। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत अनुदान का व्यय, स्वीकृत्यादेश में निहित प्रावधानों / निदेशों के आलोक में ही सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर की जाए।

3. इस अनुदान राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत्यादेश संख्या – 35 दिनांक 31.03.2011 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे। राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के नियम 431 के आलोक में अनुदानित संस्थान से पूर्व प्राप्ति रशिद प्राप्त कर टी०सी० विपत्र– 60 पर की जायेगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– एम–4–05 / 96–2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 1014 दिनांक 03.02.2011 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि राशि तृतीय अनुपूरक से अच्छादित है।

31.5.17

6. वित्त नियमावली बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय ताकि अनुदान राशि के व्यय में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो और व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके। इसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार से की जायेगी।

8. संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् वर्ष 2009-10 में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने साधन स्त्रोत से संग्रहीत राशि का ऑडिट करायेंगे एवं ऑडिट रिपोर्ट के आलोक में जो शुद्ध संग्रहीत राशि होगी उसी के आलोक में अपने जिले के लिए आवंटित मैचिंग ग्राण्ट की राशि के अन्तर्गत उपयोग करेंगे। यदि इसके पश्चात् राशि शेष बचती है तो उसे सरकारी खजाने में जमा करेंगे। ऑडिट रिर्पोट की (अभिप्रमाणित) प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9. इसका विपत्र कोड संख्या- N-2515001960007 एवं मांग संख्या-16 है।

10. आवंटनादेश में प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या- 3प/अ-304/2010 के पृ०- 22 पर दिनांक 31.03.2011 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

31/3/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3प/अ-304/2010/ 79(अ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 31/03/2011।

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3प/अ-304/2010/ 79(अ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 31/03/2011।

प्रतिलिपिः- प्रशाखा- 5, पंचायती राज विभाग, बिहार/ संबंधित सहायक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/11

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव (विधि)
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में जिला परिषदों को मैचिंग शेयर हेतु जिला परिषद् द्वारा वर्ष 2009–10 में संग्रहीत राजस्व (अपने साधन स्त्रोत से अर्जित राशि) के समतुल्य राज्य के 38 जिला परिषदों को वर्ष 2010–11 में स्वीकृत

	जिला का नाम	वर्ष 2009–10 में संग्रहीत राजस्व	वर्ष 2010–11 में मैचिंग ग्रान्ट के रूप में स्वीकृत की जानेवाली राशि
	2	3	4
1	बक्सर	135232.00	135232.00 (एक लाख पैंतीस हजार दो सौ बत्तीस रू० मात्र)
2	रोहतास	3859385.00	3859385.00 (अड़तीस लाख उनसठ हजार तीन सौ पिचासी रू० मात्र)
3	भोजपुर	2662828.00	2662828.00 (छब्बीस लाख बासठ हजार आठ सौ अट्ठाईस रू० मात्र)
4	नालन्दा	3544010.00	3544010.00 (पैंतीस लाख चौवालीस हजार दस रू० मात्र)
5	पटना	7191936.00	7191936.00 (एकहत्तर लाख एकानवे हजार नौ सौ छत्तीस रू० मात्र)
6	कैमूर	2819070.00	2819070.00 (अठाईस लाख उन्नीस हजार सत्तर रू० मात्र)
7	गया	4648465.00	4648465.00 (छियालीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ पैंसठ रू० मात्र)
8	नवादा	10865479.00	10865479.00 (एक करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार चार सौ उन्नासी रू० मात्र)
9	औरंगाबाद	4431407.00	4431407.00 (चौवालीस लाख एकतीस हजार चार सौ सात रू० मात्र)
10	जहानाबाद	3060926.00	3060926.00 (तीस लाख साठ हजार नौ सौ छब्बीस रू० मात्र)
11	अरवल	754613.00	754613.00 (सात लाख चौवन हजार छह सौ तेरह रू० मात्र)
12	सारण	5519465.00	5519465.00 (पचपन लाख उन्नीस हजार चार सौ पैंसठ रू० मात्र)
13	सीवान	7619412.00	7619412.00 (छिहत्तर लाख उन्नीस हजार चार सौ बारह रू० मात्र)
14	गोपालगंज	2772955.00	2772955.00 (सत्ताईस लाख बहत्तर हजार नौ सौ पचपन रू० मात्र)
15	मुजफ्फरपुर	6302001.00	6302001.00 (तिरसठ लाख दो हजार एक रू० मात्र)
16	वैशाली	3921066.00	3921066.00 (उनचालीस लाख एक्कीस हजार छियासठ रू० मात्र)
17	पू० चम्पारण	7939974.00	7939974.00 (उन्नासी लाख उनचालीस हजार नौ सौ चौहत्तर रू० मात्र)
18	प० चम्पारण	1890465.00	1890465.00 (अठारह लाख नब्बे हजार चार सौ पैंसठ रू० मात्र)
19	सीतामढ़ी	985486.00	985486.00 (नौ लाख पिचासी हजार चार सौ छियासी रू० मात्र)
20	शिवहर	573401.00	573401.00 (पाँच लाख तिहत्तर हजार चार सौ एक रू० मात्र)
21	भागलपुर	1700148.00	1700148.00 (सत्रह लाख एक सौ अड़तालीस रू० मात्र)
22	बाँका	855291.00	855291.00 (आठ लाख पचपन हजार दो सौ एकानवे रू० मात्र)
23	मधुबनी	5108272.00	5108272.00 (एकावन लाख आठ हजार दो सौ बहत्तर रू० मात्र)
24	समस्तीपुर	1556200.00	1556200.00 (पन्द्रह लाख छप्पन हजार दो सौ रू० मात्र)
25	दरभंगा	2490611.00	2490611.00 (चौबीस लाख नब्बे हजार छह सौ ग्यारह रू० मात्र)
26	सहरसा	3833472.00	3833472.00 (अड़तीस लाख तेंतीस हजार चार सौ बहत्तर रू० मात्र)
27	मधेपुरा	4804587.00	4804587.00 (अड़तालीस लाख चार हजार पाँच सौ सत्तासी रू० मात्र)
28	सुपौल	1685055.00	1685055.00 (सोलह लाख पिचासी हजार पचपन रू० मात्र)
29	पूर्णियाँ	5609956.00	5609956.00 (छप्पन लाख नौ हजार नौ सौ छप्पन रू० मात्र)
30	अररिया	1383505.00	1383505.00 (तेरह लाख तिरासी हजार पाँच सौ पाँच रू० मात्र)
31	किशनगंज	881139.00	881139.00 (आठ लाख एकासी हजार एक सौ उनतालीस रू० मात्र)
32	कटिहार	1349608.00	1349608.00 (तेरह लाख उनचास हजार छह सौ आठ रू० मात्र)
33	मुंगेर	5287648.00	5287648.00 (पावन लाख सत्तासी हजार छह सौ अड़तालीस रू० मात्र)
34	जमुई	561607.00	561607.00 (पाँच लाख एकसठ हजार छह सौ सात रू० मात्र)
35	बेगूसराय	2669151.00	2669151.00 (छब्बीस लाख उनहत्तर हजार एक सौ इकावन रू० मात्र)
36	खगड़िया	2049014.00	2049014.00 (बीस लाख उनचास हजार चौदह रू० मात्र)
37	लखीसराय	206822.00	206822.00 (दो लाख छह हजार आठ सौ बाईस रू० मात्र)
38	शेखपुरा	117074.00	117074.00 (एक लाख, सत्रह हजार चौहत्तर रू० मात्र)
	कुल योग	123646736.00	123646736.00 (बारह करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार सात सौ छत्तीस रू० मात्र)

उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

31.5.17
उप विकास आयुक्त

324

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

D.D.C

*अर्द्धपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक– 39/अ–301/2008/ 19 /पं०रा० पटना दिनांक 28 / 03 / 2011।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार, पटना।

* द्वारा– वित्त विभाग।

विषयः– तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2010–11 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कार्यरत् कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान के रूप में 58642781.00 (पाँच करोड़ छियासी लाख बेयालीस हजार सात सौ एकासी रूपये मात्र) की स्वीकृति के संबंध में

आदेश– स्वीकृत।

तृतीय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग की अनुशंसाओं को सरकारी संकल्प संख्या– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 द्वारा स्वीकार करने का निर्णय लिया था। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत् कर्मियों को नये वेतनमान में वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण वेतनादि भुगतान हेतु जिला परिषदों से प्राप्त मांग पत्र के आलोक में कुल 17,12,22,565/– (सत्रह करोड़ बारह लाख बाईस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये) की स्वीकृति दी गई थी, वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला परिषद् के कर्मियों को उक्त राशि का 80 (अस्सी) प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में 60 प्रतिशत वेतनादि के वहन हतु भुगतान किया गया है।

राज्य सरकार ने संकल्प संख्या– 2102 (वि–2) दिनांक 26.03.2007 के प्रावधानानुसार आधार वर्ष (वित्तीय वर्ष 2007–08) में स्वीकृत अनुदान राशि का (40%) चालीस प्रतिशत राशि राज्य के 38 जिला परिषदों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को भुगतान हेतु जिला परिषद्वार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रू० 58642781.00 (पाँच करोड़ छियासी लाख बेयालीस हजार सात सौ एकासी रूपये मात्र) की राशि का अनुदान स्वीकृत किया है।

2. इस स्वीकृत अनुदान की राशि के व्यय के क्रम में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी निम्नलिखित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :–

S.L.No-95
17/03/11

D:\Amit Kumar 2011\Ky Sec\DV Sec\ Mdc.doc

उप विकास आयुक्त
मुख्य कार्य
जिला परिषद

(क) यह स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य के जिला परिषदों के वैसे कर्मचारियों को देय होगी जो सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/ परिपत्रों के आलोक में विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किए गए हों एवं कार्यरत हों तथा उनके नये वेतनमान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली गई हो।

(ख) दिनांक 01.01.1996 के बाद अनुकम्पा के आधार पर षष्ठम वेतनमान में नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या– 33[illegible] दिनांक 15.06.2001के आलोक में संशोधित कर वेतन निर्धारित करते हुए किया जाये।

(ग) जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र (आधार वर्ष 2007–08) में अंकित कर्मियों के वेतनादि के निर्धारण की जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् ही इस राशि को वेतन मद में व्यय किया जाये।

(घ) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कर्मीवार व्यय विवरणी तीन माह के अन्दर विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि उपरोक्त शर्तों के अनुरूप व्यय के पश्चात् शेष बचे राशि का सामंजन अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान की राशि से किया जा सके।

3. उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की निकासी संबंधित जिला परिषद के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे तथा इसका नियमानुकुल व्यय उसी प्रयोजन पर करेंगे जिस प्रयोजन के लिए उन्हें स्वीकृत किया गया है। यदि अनुदान स्वीकृति की प्रत्याशा में जिला परिषद द्वारा कर्मचारियों को भुगतान पहले ही कर दिया गया हो तो इस स्वीकृत राशि का आवश्यक समायोजन संबंधित जिला परिषद द्वारा कर लिया जाएगा।

4. इस अनुदान राशि के व्यय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. यह व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक के बजट शीर्ष गैर योजना मुख्य शीर्ष–7515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–0005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता मद में उपबंधित राशि रू० 10,00,000,00.00 (दस करोड रूपये मात्र) से वहन किया जायेगा।

D:\Anil Kumar 2011\Dy. Secy\DT Secy. Misc. doc

31.5.17

उप विकास आयुक्त

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

जिला परिषद, [illegible]

32

6. उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद् इस अनुदान के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आगामी वर्ष में उन्हें अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं होगा।

7. इस स्वीकृत अनुदान का लेखा–जोखा जिला परिषद् द्वारा बिल्कुल अलग रखा जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को संबंधित जिला परिषद् के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 7355(वि.), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा जिसके आधार पर ही राशि की निकासी की जायेगी।

9. इसका विपत्र कोड सं०– N– 2515001960005 एवं मांग संख्या– 16 है।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या– 3प/अ–301/2008 में यू०ओ०आर०–91/F8 दिनांक 14.02.2011 द्वारा प्राप्त है।

अनुलग्नक–यथाउपर्युक्त।

28.2.11

सरकार के उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/ 19 /प०रा०,
पटना, दिनांक 28/02/2011।

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग, प्रशाखा– 8 (स्कीम शाखा)/ प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला/ उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्/ स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक –3प/अ–301/2008/ 19 /प०रा०,
पटना, दिनांक 28/02/2011।

प्रतिलिपि:– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.11

सरकार के उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

D:\Amit Kumar 2011\Dy. Secy\DY. Secy. Misc. doc

31.5.17
उप विकास आयुक्त
एवं
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, अरवल

गैर योजना 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष–190 जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता गैर योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष–005–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 'कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में संबंधित जिला परिषदों को स्वीकृत अनुदान राशि का विवरणी:–

क्र०	जिला परिषद का नाम	वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या (आधार वर्ष 2007–08)	वर्ष 2007–08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2008–10 तक सेवा निवृत कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4–5)	वर्ष 2010–11 में 40 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	[illegible] के रूप में वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत अनुदान / ऋण राशि की प्रथम किस्त की कटौती	वर्ष 2010–11 में स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बक्सर	4	439800.00	-	439800.00	175920.00	-	175920.00 (एक लाख पचहत्तर हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र)
2.	रोहतास	41	6201396.00	909036.00	5292360.00	2116944.00	-	2116944.00 (इक्कीस लाख सोलह हजार नौ सौ चैवालीस रू० मात्र)
3.	भोजपुर	27	3750191.00	1109577.00	2640614.00	1056246.00	680283.00	375963.00 (तीन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ तीरसठ रू० मात्र)
4.	नालन्दा	39	5562909.00	838442.00	4724467.00	1889787.00	-	1889787.00 (अठारह लाख नवासी हजार सात सौ सतासी रू० मात्र)
5.	पटना	33	8121860.00	2157041.00	5964819.00	2385928.00	-	2385928.00 (तेईस लाख पिचासी हजार नौ सौ अठाईस रू० मात्र)
6.	कैमूर	16	1517300.00	40320.00	1476980.00	590792.00	-	590792.00 (पाँच लाख नब्बे हजार सात सौ बानबे रू० मात्र)
7.	गया	47	6275831.00	835848.00	5439983.00	2175993.00	-	2175993.00 (इक्कीस लाख पिचहत्तर हजार नौ सौ तीरानबे रू० मात्र)
8.	नवादा	40	5205312.00	472440.00	4732872.00	1893149.00	-	1893149.00 (अठारह लाख तीरानबे हजार एक सौ उनचास रू० मात्र)
9.	औरंगाबाद	52	7341180.00	459708.00	6881472.00	2752589.00	-	2752589.00 (सताईस लाख बावन हजार पाँच सौ नवासी रू० मात्र)
10.	जहानाबाद	17	2263860.00	244020.00	2019840.00	807936.00	197475.00	610461.00 (छः लाख दस हजार चार सौ इकसठ रू० मात्र)
11.	अरवल	9	1245660.00	218280.00	1027380.00	410952.00	-	410952.00 (चार लाख दस हजार नौ सौ बावन रू० मात्र)
12.	सारण	56	8227532.00	1050584.00	7176948.00	2870779.00	-	2870779.00 (अठाईस लाख सत्तर हजार सात सौ उनासी रू० मात्र)
13.	सिवान	76	11457865.00	713541.00	10744324.00	4297730.00	-	4297730.00 (बयालीस लाख सनतानबे हजार सात सौ तीस रू० मात्र)
14.	गोपालगंज	60	8094732.00	554028.00	7540704.00	3016282.00	-	3016282.00 (तीस लाख सोलह हजार दो सौ बेरासी रू० मात्र)
15.	मुजफ्फरपुर	27	4155795.00	587403.00	3568392.00	1427357.00	199903.00	1227454.00 (बारह लाख सताईस हजार चार सौ चौवन रू० मात्र)
16.	वैशाली	54	8345662.00	602072.00	7743590.00	3097436.00	-	3097436.00 (तीस लाख सनतानबे हजार चार सौ छतीस रू० मात्र)
17.	पू० चम्पारण	66	9572500.00	1729516.00	7842984.00	3137194.00	-	3137194.00 (इक्कतीस लाख सैंतीस हजार एक सौ चौरानबे रू० मात्र)
18.	प० चम्पारण	31	6332856.00	1043448.00	5289408.00	2115763.00	-	2115763.00 (इक्कीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ तिरसठ रू० मात्र)
19.	सीतामढ़ी	58	7950616.00	577852.00	7372764.00	2949106.00	-	2949106.00 (उनतीस लाख उनचास हजार एक सौ छः रू० मात्र)
20.	शिवहर	15	2486220.00	311100.00	2175120.00	870048.00	-	870048.00 (आठ लाख सत्तर हजार अड़तालीस रू० मात्र)
21.	भागलपुर	28	2958138.00	-	2958138.00	1183255.00	-	1183255.00 (ग्यारह लाख तेरासी हजार दो सौ पचपन रू० मात्र)
22.	बांका	12	1795164.00	276816.00	1518348.00	607339.00	-	607339.00 (छः लाख सात हजार तीन सौ उनचालीस रू० मात्र)

D. [illegible] KUMAR [illegible] Functional Fin Departmentals Excel file Mar Accounts Book

क्र०	जिला परिषद का नाम	अभिमान में कार्यरत कर्मियों की संख्या (आधार वर्ष 2007-08)	वर्ष 2007-08 में स्वीकृत 100 प्रतिशत अनुदान की राशि	वर्ष 2009-10 तक सेवा-निवृत्त कर्मियों के वेतनादि की कटौती की राशि	कुल राशि (4-5)	वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत अनुदान की देय राशि	अंतिम ह. रूप में विसंपद वर्ष 2005-06 में स्वीकृत अनुदान/ऋण राशि की पंचम किस्त की कटौती	वर्ष 2010-11	स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23.	मधुबनी	38	6089496.00	1570464.00	4519032.00	1807613.00	-	1807613.00	(अठारह लाख सात हजार छः सौ तेरह रू० मात्र)
24.	समस्तीपुर	43	6561932.00	556104.00	6005828.00	2402330.00	-	2402330.00	(चौबीस लाख दो हजार तीन सौ तीस रू० मात्र)
25.	दरभंगा	40	6108010.00	1386430.00	4721580.00	1888632.00	-	1888632.00	(अठारह लाख अट्ठासी हजार छः सौ बत्तीस रू० मात्र)
26.	सहरसा	20	2816340.00	590088.00	2226252.00	890500.00	-	890500.00	(आठ लाख नब्बे हजार पाँच सौ रू० मात्र)
27.	मधेपुरा	17	2727768.00	519600.00	2208168.00	883267.00	-	883267.00	(आठ लाख तिरासी हजार दो सौ सड़सठ रू० मात्र)
28.	सुपौल	5	874296.00	183288.00	691008.00	276403.00	-	276403.00	(दो लाख छिहत्तर हजार चार सौ तीन रू० मात्र)
29.	पूर्णिया	58	7526038.00	913370.00	6612668.00	2645067.00	-	2645067.00	(छब्बीस लाख पैंतालीस हजार सड़सठ रू० मात्र)
30.	अररिया	21	2518955.00	262368.00	2256587.00	902635.00	-	902635.00	(नौ लाख दो हजार छः सौ पैंतीस रू० मात्र)
31.	किशनगंज	11	1238904.00	-	1238904.00	495562.00	-	495562.00	(चार लाख पिचानबे हजार पाँच सौ बासठ रू० मात्र)
32.	कटिहार	29	4533360.00	729024.00	3804336.00	1521734.00	-	1521734.00	(पन्द्रह लाख इक्कीस हजार सात सौ चौंतीस रू० मात्र)
33.	मुँगेर	19	2360748.00	266340.00	2094408.00	837763.00	-	837763.00	(आठ लाख सैंतीस हजार सात सौ तिरसठ रू० मात्र)
34.	जमुई	10	1880892.00	664344.00	1216548.00	486619.00	-	486619.00	(चार लाख छियासी हजार छः सौ उन्नीस रू० मात्र)
35.	बेगूसराय	26	3746772.00	626628.00	3120144.00	1248058.00	-	1248058.00	(बारह लाख अड़तालीस हजार अनठावन रू० मात्र)
36.	खगड़िया	26	3031764.00	-	3031764.00	1212705.00	-	1212705.00	(बारह लाख बारह हजार सात सौ पाँच रू० मात्र)
37.	लखीसराय	4	364572.00	-	364572.00	145829.00	-	145829.00	(एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ उन्नतीस रू० मात्र)
38.	शेखपुरा	5	618000.00	-	618000.00	247200.00	-	247200.00	(दो लाख सैंतालीस हजार दो सौ रू० मात्र)
कुल		1180	172300226.00	22999120.00	149301106.00	59720442.00	1077661.00	58642781.00	(पाँच करोड़ छियासी लाख बेयालीस हजार सात सौ एकासी रू० मात्र)

1. पाँच करोड़ सनतानबे लाख बीस हजार चार सौ बेयालीस रू० मात्र।
2. दस लाख सत्तहत्तर हजार छह सौ एकसठ रू० मात्र।
3. पाँच करोड़ छियासी लाख बेयालीस हजार सात सौ एकासी रू० मात्र।

उप सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।